अध्याय V

गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं

प्रस्तावना

5.1 गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं नाना प्रकार की संस्थाओं का एक पंचमेल समूह है जो विविध प्रकार की वित्तीय सेवाएं प्रदान करनेवाली भारतीय वित्तीय प्रणाली के एक अविभाज्य अंग का निर्माण करती हैं। वाणिज्यिक और सहकारी बैंकों के अलावा भारत में वित्तीय संस्थाओं का यह एक महत्वपूर्ण खंड है। गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं के भीतर विकास वित्त संसथाएं ज्यादातर सरकारी स्वामित्व वाली संस्थाएं हैं और ये दीर्घावधि परियोजना ऋण उपलब्ध कराने वाले पारंपरिक प्रदाता हैं। अन्य गैर-बैंकिंग संस्थाओं में मध्यस्थों के व्यापक प्रकार आते हैं जैसे कि बीमा कंपनियां, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी), प्राथमिक व्यापारी (पीडी) और पूंजी बाजार के मध्यस्थ जैसे कि म्यूच्युअल फंड।

5.2 ऐतिहासिक रूप से अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं (एआइएफआइ या एफआइ) ने अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में मध्यावधि और दीर्घावधि ऋण उपलब्ध कराने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। तथापि, बदले परिचालित वातावरण में अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं का सापेक्षिक महत्व घटा है, विशेषकर दो बड़ी वित्तीय संस्थाओं (आइडीबीआइ और आइसीआइसीआइ) के बैंक के रूप में परिवर्तित हो जाने के बाद। कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत गठित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां बिल भुनाई, बीमा, शेयर दलाली (स्टॉक ब्रोकिंग), वाणिज्यिक बैंकिंग और आवास वित्तपोषण सहित पट्टा वित्त, किराया खरीद वित्त, प्रतिभूतियों में निवेश, ऋण प्रदान करने के कार्यों में सक्रिय रूप से संलग्न हैं। सरकारी प्रतिभूति बाजार के प्राथमिक व्यापारी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के एक प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण खंड का निर्माण करते हैं। 2006-07 के दौरान प्राथमिक व्यापारी प्रणाली में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, क्योंकि उन्हें अन्य कारोबार करने और उनकी अनुसहायक कंपनियों, यदि कोई हों, को बंद करने की अनुमति दी गई थी। इस पुनर्संरचना के फलस्वरूप स्टैंड अलोन प्राथमिक व्यापारियों की संख्या पिछले वर्ष में 17 के मुकाबले 2006-07 में घटकर 8 रह गई। अधिकांश प्राथमिक व्यापारी बैंकों द्वारा प्रवर्तित हैं।

5.3 गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं न केवल आकार और संस्थापन के प्रकार के अर्थ में बल्कि कार्यात्मकता के अर्थ में भी एक विविध स्वरूप के समूह का निर्माण करती हैं । वित्तीय प्रणाली में स्पर्धा बढ़ाने के अलावा ये संस्थाएं विविध स्वरूप के उत्पाद और सेवाएं देकर आबादी के एक बड़े वर्ग की वित्तीय सेवाओं तक पहुंच को व्यापक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। बैंकों और गैर-बैंकिंग संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत उत्पादों के बीच एकरूपता दिनोंदिन बढ़ती जा रही है और इसके लिए बैंकों और गैर-बैंकिंग संस्थाओं के विनियमन में एक निकट समन्वय जरूरी हो गया है। प्रमुख नीतिगत उद्देश्यों में एक उद्देश्य के रूप में वित्तीय समावेशन के उदय की दृष्टि से कुछ वित्तीय संस्थाओं की भूमिका ने अपेक्षाकृत अधिक महत्व प्राप्त कर लिया है क्योंकि वे ऋण वितरण विशेषकर लघु उद्योग और खुदरा क्षेत्रों में ऋण वितरण के एक साधन के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती हैं।

5.4 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी क्षेत्र के महत्व को देखते हुए रिज़र्व बैंक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को बैंक वित्त के सरल प्रवाह संबंधी मामले की जांच कर रहा है ताकि उन्हें उन्नत कौशल और प्रौद्योगिकी के साथ वित्तीय रूप से सुदृढ़ क्षेत्र के रूप में विकसित किया जा सके। लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र तथा कृषि संबद्ध गतिविधियों को वित्तीय समर्थन देने की बढ़ती आवश्यकता को देखते हुए तथा ऋण वितरण के एक साधन के रूप में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा अदा की जा सकने वाली महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए सिडबी और नाबार्ड इस बात पर सहमत हो गए हैं कि लघु एवं मध्यम उद्यम तथा कृषि क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को संसाधन सहायता उपलब्ध कराने के लिए वे एक व्यवहार्य ऋण वितरण व्यवस्था विकसित करंगे। ये संस्थान गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से परामर्श करके एक उचित व्यवस्था विकसित करेंगे ताकि इस संबंध में उनकी आवश्यकताएं पूरी की जा सकें और लघु एवं मध्यम उद्यम तथा कृषि क्षेत्रों के वित्तपोषण हेतु विशेषज्ञता प्राप्त करने के लिए उनकी क्षमता निर्माण के अर्थ में उन्हें समर्थन प्रदान किया जा सके।

5.5 2006-07 में वित्तीय संस्थाओं के संबंध में विनियामक पहलों का फोकस मुख्यतः आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधानीकरण पर रहा। पिछले वर्ष की तुलना में, वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रदत्त वित्तीय सहायता में कम दर पर वृद्धि हुई जबकि पिछले वर्ष की तुलना में मंजूरी में कम दर पर वृद्धि हुई और संवितरण में तेज वृद्धि हुई। तथापि, उनके तुलनपत्रों में महत्वपूर्ण रूप से ऊंची दर पर विस्तार हुआ। निवल ब्याज आय के साथ-साथ ब्याजेतर आय में तेज वृद्धि तथा परिचालन व्ययों में गिरावट के परिणामस्वरूप वित्तीय संस्थाओं को अधिक लाभ हुए। वित्तीय संस्थाओं की आस्ति गुणवत्ता में महत्वपूर्ण सुधार हुआ। पूंजी पर्याप्तता अनुपात सामान्यतः न्यूनतम निर्दिष्ट मात्रा से लगातार काफी अधिक रहा।

5.6 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के संबंध में विनियामक उपायों का फोकस उन्हें को-ब्रांडेड कार्ड जारी करने और म्यूच्युअल फंड उत्पाद वितरित करने, प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का विनियमन, उचित व्यवहार और कंपनी अभिशासन की अनुमति देकर उनके कारोबार क्षेत्र का विविधीकरण करने पर रहा। 100 करोड़ रुपए और अधिक की आस्ति आकारवाली जमा न लेनेवाली एनबीएफसी के विनियमन के नीतिगत रुख में, उनके सर्वांगीण महत्त्व के कारण,

उल्लेखनीय बदलाव आया। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की आस्तियां/देयताएं (अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियों को छोड़कर) 2006-07 में 26.9 प्रतिशत की काफी उच्च दर से बढ़ीं जबकि 2005-06 में यह वृद्धि मामूली रूप से 5.1 प्रतिशत थी। 2006-07 में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का वित्तीय कार्य-निष्पादन निधि आधारित आय में तेज वृद्धि के कारण पूरी तरह से पलट गया जो परिचालन व्यय और वित्तीय व्यय में हुई तेज वृद्धि को प्रतिसंतुलित करता है। परिणामस्वरूप परिचालन लाभ और निवल लाभ दोनों में वृद्धि दिखाई दी। आस्तियों की गुणवत्ता भी काफी सुधरी। वर्ष के दौरान 30 प्रतिशत से ज्यादा सीआरएआर वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का अनुपात घटने के साथ-साथ 12 प्रतिशत से कम सीआरएआर वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का अनुपात भी घटा।

5.7 2006-07 के दौरान प्राथमिक व्यापारी प्रणाली महत्वपूर्ण परिवर्तनों के दौर से गुजरी। प्राथमिक व्यापारी के कारोबार में निहित जोखिमों को विविधीकृत करने के उद्देश्य से प्राथमिक व्यापारियों को इस बात की अनुमति दी गई कि वे सरकारी प्रतिभूतियों के कारोबार में वर्चस्व बनाए रखने की अपेक्षा को बरकरार रखते हुए अन्य कारोबार लाइनों को भी अपना सकते हैं। सहवर्ती रूप से यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से कि प्राथमिक व्यापारियों के तुलनपत्र अन्य कारोबार/सहायक संस्थाओं की जोखिमों के आ जाने से प्रभावित न हों तथा यह कि प्राथमिक व्यापारी का फोकस उसकी प्राथमिक व्यापारी गतिविधियों पर रहे, यह निर्णय लिया गया था कि प्राथमिक व्यापारियों को अनुसहायक कंपनियां (स्टेप डाउन सब्सिडियरी) गठित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वे प्राथमिक व्यापारी जो पहले ही (भारत ओर विदेश में) अनुसहायक कंपनियां गठित कर चुके हैं, को सूचित किया गया था कि उन सहायक कंपनियों के स्वामित्व स्वरूप की पुनर्संरचना करें। इन मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुपालन में पांच प्राथमिक व्यापारियों, जिनके पास या तो अनुसहायक कंपनियां थीं अथवा विशेष रूप से अनुमत कारोबार के अलावा उन्होंने अन्य कारोबार चला रखा था, ने अपने परिचालन पुनर्संरचित किए।

5.8 2006-07 में प्राथमिक व्यापारियों द्वारा अर्जित आय में तेजी से वृद्धि हुई परंतु व्यय में वृद्धि की दर आय में वृद्धि की दर से काफी अधिक थी। परिणामस्वरूप, प्राथमिक व्यापारियों के निवल लाभ में 20 प्रतिशत की गिरावट आयी। प्राथमिक व्यापारियों का सीआरएआर समग्र जोखिम भारित आस्तियों के न्यूनतम निर्दिष्ट 15 प्रतिशत से काफी अधिक था।

5.9 वर्तमान अध्याय चार खंडों में सुव्यवस्थित है । खंड 2 में वित्तीय संस्थाओं की नीतिगत गतिविधियां, कारोबारी परिचालन और वित्तीय कार्य-निष्पादन का उल्लेख किया गया है। खंड 3 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के विनियामक उपायों और वित्तीय कार्य-निष्पादन पर केंद्रित है। इस अध्याय के अंतिम खंड में प्राथमिक व्यापारियों और उनके परिचालन संबंधी गतिविधियों के बारे में चर्चा की गई है।

2. वित्तीय संस्थाएं

5.10 वर्षों के दौरान वित्तीय संस्थाओं की एक व्यापक श्रृंखला अस्तित्व में आई है जो अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की मध्यावधि और दीर्घावधि आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। उनके द्वारा संचालित प्रमुख गतिविधि के आधार पर अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं को तीन व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। पहली श्रेणी में दीर्घावधि उधार देनेवाली संस्थाएं आती हैं यथा आइएफसीआइ लि., आइआइबीआइ लि; एक्जिम बैंक और टीएफसीआइ। दूसरी श्रेणी में पुनर्वित्त संस्थाएं आती हैं जैसे कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) और राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) जो बैंकों के साथ-साथ गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को पुनर्वित्त प्रदान करती हैं। तीसरी श्रेणी में जीवन बीमा निगम जैसी निवेश वित्त संस्थाएं आती हैं जो अपनी आस्तियां ज्यादातर विपणनीय प्रतिभूतियों में विनियोजित करती हैं। राज्य/क्षेत्र स्तरीय संस्थाओं का एक अलग स्पष्ट समूह है जिसमें विभिन्न राज्य वित्तीय नियम (एसएफसी) राज्य औद्योगिक एवं विकास निगम (एसआइडीसी) और पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम लि. (एनईडीएफआइ) आते हैं। इसमें से कुछ वित्तीय संस्थाएं कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 4ए के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक वित्त संस्थाओं के रूप में अधिसूचित हैं।

5.11 मार्च 2007 के अंत में, रिज़र्व बैंक सात वित्तीय संस्थाओं नामत:, एक्जिम बैंक, आइएफसीआइ, आइआइबीआइ, नाबार्ड, एनएचबी, सिडबी और टीएफसीआइ को विनियमित कर रहा था। उनमें से पांच वित्तीय संस्था (एक्जिम बैंक, आइएफसीआइ, नाबार्ड, एनएचबी, सिडबी) रिज़र्व बैंक के पूर्ण विनियमन और पर्यवेक्षक में थीं । जनता से जमाराशियां स्वीकार न करनेवाली परन्तु 500 करोड़ रुपए और अधिक आस्ति आकार वाली वित्तीय संस्थाओं की रिज़र्व बैंक द्वारा परोक्ष (ऑफ-साईट) पर्यवेक्षण किया जाएगा। टीएफसीआई इस श्रेणी में आता है, जबकि आइआइबीआइ स्वैच्छिक समापन की प्रक्रिया में है। एनबीएफसी विनियमों से आइएफसीआइ को दी गयी छूट अगस्त 2007 में हटा ली गयी तथा अब इसका विनियमन प्रणालीगत रूप से महत्त्वपूर्ण जमा न लेनेवाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी-एनडी-एसआइ) के रूप में किया जा रहा है।

वित्तीय संस्थाओं के लिए विनियामक पहलें

5.12 पूरे वित्तीय क्षेत्र में मानदंडों में एकरूपता की दृष्टि से वित्तीय संस्थाओं के लिए विनियामक मानदंडों के क्रमिक उन्नयन हेतु हाल के वर्षों में नीतिगत पहलों के क्रम में रिज़र्व द्वारा 2006-07 में अनेक उपाय शुरू किए गए।

आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण

5.13 आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और सरकारी गारंटी वाले एक्सपोजरों से संबंधित अन्य संबद्ध मामलों

के लिए मानदंड 2006-07 में आशोधित किए गए। पहले, राज्य सरकार द्वारा गारंटीशुदा एक्सपोज़रों के संबंध में आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण की अपेक्षाएं सरकारी गारंटी लागू किए जाने के अधीन थीं। पुनर्वित्त संस्थाओं के संबंध में तकनीकी दल (अध्यक्षः श्री जी.पी.मुनियप्पन) की सिफारिशों के अनुसरण में आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण की अपेक्षाएं गारंटी लागू करने की शर्त से अलग कर दी गईं। 31 मार्च 2007 से यदि वित्तीय संस्था को देय ब्याज और /या मूलधन और अथवा कोई अन्य राशि जो 90 दिन से अधिक समय तक अतिदेय बनी रहती है तो राज्य सरकार की गारंटी वाले अग्रिम और राज्य सरकार की गारंटी वाली प्रतिभूतियों में निवेशों पर आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण के मानदंड लागू होंगे। तथापि, कृषि गतिविधि के संबंध में चूक अवधि 90 दिन के बजाय कृषीय चक्र से संबंधित है। केंद्र सरकार की गारंटी द्वारा समर्थित ऋण सुविधाएं अतिदेय होने के बावजूद केवल तभी अनर्जक आस्ति मानी जाएंगी जब गारंटी लागू करने पर सरकार इसकी गारंटी को न मानती हो। तथापि, केंद्र सरकार की गारंटी से समर्थित अग्रिमों को अनर्जक आस्ति के वर्गीकरण से छूट देने का यह प्रावधान आय स्वीकरण के उन मामलों में लागू नहीं होगा जहां ये मौजूदा मानदंड लागू हैं।

विनियामक स्थगन में कमी

5.14 पहले सरकारी क्षेत्र के कतिपय बैंकों को वर्ष 2002-03 से वर्ष दर वर्ष आधार पर आइएफसीआइ लि. में उनके अपने पुनर्संरचित निवेश के संबंध में विवेकसम्मत मानदंडों से छूट दी गई थी। वर्ष के दौरान यह छूट वापस ले ली गई और सरकारी क्षेत्र के बैंकों से कहा गया कि वे 30 जून 2007 की स्थिति के अनुसार आइएफसीआइ में अपने पुनर्संरचित निवेश का बाजार मूल्य बही में अंकित करें। इन बैंकों को यह अनुमति दी गई है कि वे समानुपातिक आधार पर चार तिमाहियों में आइएफसीआइ लि. में उनके पुनर्संरचित निवेश के संबंध में तिमाही आधार पर आवश्यक प्रावधानन क्रमिक रूप से समाप्त करें और यह सुनिश्चित करें कि 31 मार्च 2008 तक प्रावधान पूरा कर लिया गया है।

सिडबी के संबंध में विनियामक फोकस को सुदृढ़ बनाना

5.15 सिडबी और विशेषकर एसएफसी में उसके एक्सपोजर के संबंध में विनियामक फोकस को कड़ा करने के लिए अनेक कदम उठाए गए। एसएफसी में सिडबी के एक्सपोजर पर जोखिम भार 100 प्रतिशत से बढ़ाकर 125 प्रतिशत कर दिया गया। सिडबी को यह अनुदेश दिए गए थे कि वह उन एसएफसी के संबंध में पूरे प्रावधान करे जिन्होंने पुनर्संरचना/उन्हें एकबारगी निपटान (ओटीएस) पैकेज दिए जाने के बाद भी चूक की है तथा उन एसएफसी को पुनर्वित्त न दे जो लगातार ऋणात्मक निवल मालियत दर्शा रहे हैं। इसके अलावा, एसएफसी जोकि जोखिम प्रवण हैं, में सिडबी के भारी एक्सपोजर को देखते हुए सिडबी को सूचित किया गया था कि वह एसएफसी में अपने एक्सपोजर के संबध में बैंकों के लिए लागू आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण संबंधी मानदंड अपनाए जिसमें वित्तीय संस्थाओं के लिए लागू 'सुविधावार' वर्गीकरण की जगह 'उधारकर्तावार' वर्गीकरण करने का परिवर्तन शामिल है । सिडबी को यह भी सूचित किया गया कि वह यह सुनिश्चित करे कि सभी एसएफसी बैंकों द्वारा अपनाए जाने वाले लेखांकन मानकों के समान ही एक समान लेखांकन मानक अपनाएं।

वित्तीय संस्थाओं का परिचालन

5.16 वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत तथा संवितरित वित्तीय सहायता में वर्ष 2006-07 में भी वृद्धि हुई यद्यपि पिछले वर्ष की तुलना में मंजूरिया कम दर पर बढ़ीं, संवितरण में तेज वृद्धि देखी गई। यह गिरावट मुख्य रूप से अखिल भारतीय मीयादी उधार देनेवाली संस्थाओं, विशेष रूप से सिडबी में दिखी। विशेषीकृत वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत और संवितरित वित्तीय सहायता बढ़ी। निवेश करनेवाली संस्थाओं के मामले में जबकि स्वीकृत वित्तीय सहायता कम हुई, संवितरित वित्तीय सहायता मुख्य रूप जीवन बीमा निगम के कारण तेजी से बढ़ी (सारणी V.1 और परिशिष्ट सारणी V.1)।

सारणी V.1: वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत तथा संवितरित वित्तीय सहायता

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	राशि				प्रतिशत अंतर			
	2005-06		2006-07		2005-06		2006-07	
	स्वीकृतियां	संवितरण	स्वीकृतियां	संवितरण	स्वीकृतियां	संवितरण	स्वीकृतियां	संवितरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
i) अखिल भारतीय उधारदाता संस्थाएं *	11,975	9,287	12,234	10,679	31.4	47.1	2.2	15.0
ii) विशिष्टता प्राप्त वित्तीय संस्थाएं#	133	88	245	120	19.0	22.0	84.0	36.0
iii) निवेश संस्थाएं@	15,558	11,771	18,759	27,857	49.0	31.0	20.6	136.0
वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रदत्त कुल सहायता (i+ii+iii)	**27,666**	**21,146**	**31,238**	**38,656**	**41.0**	**38.0**	**12.9**	**82.8**

* : आइएफसीआइ, और सिडबी और आइआइबीआइ से संबंधित । # : आइवीसीएफ, आइसीआइसीआइ वेंचर और टीएफसीआइ से संबंधित।
@ : एलआइसी और जीआइसी और पूर्ववर्ती सहायक कं. (एनआइए, यूआइआइसी और ओआइसी) से संबंधित।
टिप्पणी : सभी आंकड़े अनंतिम हैं।
स्रोत : संबंधित वित्तीय संस्थाएं।

चार्ट V.1: एआइएफआइ द्वारा दी गई वित्तीय सहायता

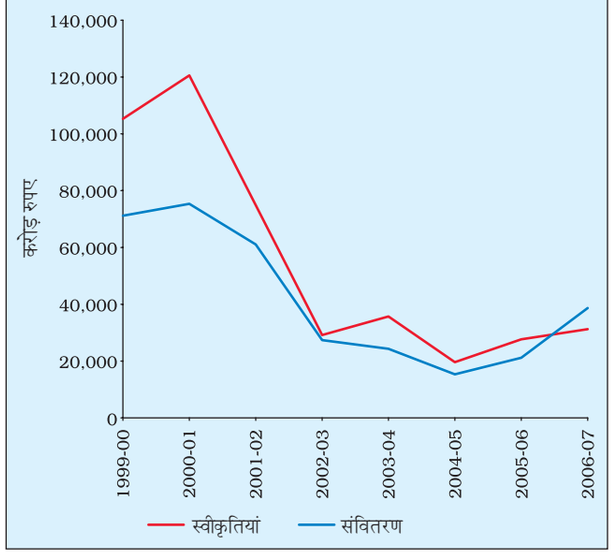

5.17 अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत और संवितरित वित्तीय सहायता में, 2000-01 और 2004-05 के बीच कमी दिखने के पश्चात् पिछले दो वर्षों में बढ़ोतरी हुई। पिछले कुछ वर्षों की प्रवृत्ति के विपरीत, वर्ष 2006-07 के दौरान संवितरण की राशि स्वीकृतियोंसे अधिक थी (चार्ट V.I) ।

वित्तीय संस्थाओं की आस्तियां और देयताएं

5.18 2006-07 के दौरान वित्तीय संस्थाओं का समेकित तुलन पत्र पिछले वर्ष के 8.2 प्रतिशत की तुलना में 14.9 प्रतिशत की उच्च दर से बढ़ा। देयता के पक्ष में, बांड और डिबेंचरों के माध्यम से जुटाए गए संसाधन, जो 43.5 प्रतिशत हिस्से के साथ प्रमुख घटक थे, 2005-06 में 11.6 प्रतिशत की तुलना में 8.4 प्रतिशत की कम दर से बढ़े (सारणी V.2)। जमाओं और उधारों में, देयता पक्ष में जिनका प्रत्येक का लगभग 13 प्रतिशत हिस्सा था, वर्ष के दौरान अधिक तेजी से वृद्धि हुई। जमा में वृद्धि, पिछले वर्ष के 8.7 प्रतिशत की मामूली वृद्धि की तुलना में वर्ष के दौरान काफी अधिक अर्थात 51.5 प्रतिशत थी। आस्ति पक्ष में, ऋण और अग्रिम के पोर्टफोलियो में बढ़ोत्तरी जारी रही, अलबत्ता बैंकिंग क्षेत्र में तेज ऋण वृद्धि के अनुसार कुछ कमी के साथ। वित्तीय संस्थाओं के निवेश पोर्टफोलियो में पिछले वर्ष के 23.5 प्रतिशत की गिरावट के अलावा 14.4 प्रतिशत की कमी हुई।

वित्तीय संस्थाओं द्वारा जुटाए गए संसाधन

5.19 2006-07 के दौरान अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं ने रुपया और विदेशी मुद्रा दोनों में संसाधन जुटाए। रुपया संसाधन में दीर्घकालिक और अल्पकालिक निधियां शामिल हैं। जबकि दीर्घकालिक

सारणी V.2: वित्तीय संस्थाओं की देयताएं और आस्तियां

(मार्च के अंत में)

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	राशि		प्रतिशत घट-बढ़	
	2006	2007	2005-06	2006-07
1	2	3	4	5
देयताएं				
1. पूंजी	5,431 (3.7)	4,888 (2.9)	1.9	-10.0
2. आरक्षित निधि	15,211 (10.5)	15,886 (9.5)	8.1	4.4
3. बांड और डिबेंचर	67,145 (46.2)	72,766 (43.5)	11.6	8.4
4. जमा राशियां	14,520 (10.0)	21,998 (13.2)	8.7	51.5
5. उधार	18,950 (13.0)	22,401 (13.4)	8.8	18.2
6. अन्य देयताएं	24,217 (16.7)	29178 (17.5)	0.5	20.5
कुल देयताएं/आस्तियां	**1,45,474 (100.0)**	**1,67,117 (100.0)**	**8.2**	**14.9**
आस्तियां				
1. नकदी एवं बैंक शेष	9,915 (6.8)	10,125 (6.1)	-39.9	2.1
2. निवेश	10423 (7.7)	8,922 (5.3)	-23.5	-14.4
3. ऋण और अग्रिम	1,11,441 (76.6)	1,32,424 (79.2)	21.3	18.8
4. भुनाए गए/पुन: भुनाए गए बिल	1,810 (1.2)	1,922 (1.2)	72.7	6.2
5. अचल आस्तियां	1,088 (0.8)	1,489 (1.0)	-5.0	36.9
6. अन्य आस्तियां	10,797 (7.4)	12,235 (7.3)	5.2	13.3

टिप्पणी : 1. आंकड़े छह वित्तीय संस्थाओं अर्थात् आइएफसीआइ लि. नाबार्ड, एनएचबी और एक्ज़िम बैंक से संबंधित हैं। आइआइबीआइ 31 मार्च 2007 को स्वैच्छिक समापन के अंतर्गत था। आइआइबीआइ सहित सभी आंकड़े 31 मार्च 2006 को समाप्त वर्ष के हैं।

2. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल देयताओं/आस्तियों के प्रतिशत दर्शाते हैं।

स्रोत : संबंधित वित्तीय संस्थाओं के तुलन पत्र। एनएचबी की अलेखापरीक्षित परोक्ष विवरणी। टीएफसीआइ लि. का लेखा परीक्षित सीमित पर्यवेक्षी विवरणी।

रुपया संसाधनों में बांड और उधार शामिल हैं, अल्पकालिक संसाधनों में वाणिज्यिक पत्र, मीयादी जमाराशियां, अंतर-कंपनी जमाराशियां, जमा प्रमाणपत्र और मीयादी मुद्रा बाजार से लिए गए उधार शामिल हैं। विदेशी मुद्रा संसाधनों में मुख्य रूप से बांड और उधार शामिल हैं।

5.20 2006-07 के दौरान वित्तीय संस्थाओं द्वारा जुटाए गए संसाधन 2005-06 के दौरान जुटाए गए संसाधनों से अधिक थे। अल्पकालिक और दीर्घकालिक रुपया संसाधन दोनों ही बढ़े। विदेशी मुद्रा में जुटाए गए संसाधन भी काफी बढ़े। राष्ट्रीय आवास बैंक ने

सारणी V.3: वित्तीय संस्थाओं द्वारा जुटाए गए संसाधन
(मार्च के अंत में)

(राशि करोड़ रुपए में)

संस्था	जुटाए गए कुल संसाधन								कुल बकाया	
	दीर्घावधि		अल्पावधि		विदेशी मुद्रा		कुल			
	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
टीएफसीआइ	–	–	66	–	–	–	66	–	390	331
एक्जिम बैंक	3,260	3,212	1,124	3,249	3,063	4,159	7,446	10,620	15,836	21,137
सिडबी	2,610	572	420	1,274	459	331	3,489	2,176	11,030	10,928
नाबार्ड	8,395	10,899	–	–	–	–	8,395	10,899	23,313	31,260
एनएचबी	5,342	9,682	1,220	3,079	–	–	6,562	12,761	16,344	18,475
कुल	**19,607**	**24,365**	**2,764**	**7,602**	**3,522**	**4,490**	**25,958**	**36,456**	**66,913**	**82,131**

– : न्यून/नगण्य

टिप्पणी : दीर्घावधि संसाधनों में बांडों/डिबेंचरों में उधार शामिल हैं। अल्पावधि संसाधनों में वाणज्यिक पत्र, सावधि जमा, अंतर-कंपनी जमा, जमा प्रमाणपत्र और सावधि मुद्रा से उधार शामिल हैं। विदेशी मुद्रा संसाधनों में मुख्यत: बांड तथा अंतरराष्ट्रीय बाजार से लिए गए उधार शामिल हैं।

स्रोत : संबंधित वित्तीय संस्थाओं के तुलनपत्र।

संसाधनों की सर्वाधिक राशियां जुटाईं, इसके पश्चात् नाबार्ड, निर्यात-आयात बैंक और सिडबी थे (सारणी V.3 और परिशिष्ट सारणी V.2)। कमजोर वित्तीय कार्य-निष्पादन के कारण आइएफसीआइ और आइआइबीआइ पर नए संसाधन जुटाने की रोक जारी रही।

5.21 2006-07 के दौरान मुद्रा बाजार से वित्तीय संस्थाओं द्वारा जुटाए गए संसाधन 2005-06 के दौरान जुटाए गए संसाधनों से काफी अधिक थे। कुल मिलाकर, वित्तीय संस्थाओं ने स्वीकृत समग्र (अम्ब्रैला) सीमा का सिर्फ 17.3 प्रतिशत उपयोग किया; पिछले वर्ष के दौरान यह उपयोग 13.1 प्रतिशत था (सारणी V.4)।

सारणी V.4: वित्तीय संस्थाओं द्वारा मुद्रा बाजार से जुटाए गए संसाधन

(राशि करोड़ रुपए में)

लिखत	2004-05	2005-06	2006-07
1	2	3	4
क. कुल	**3,339**	**1,977**	**3,293**
i) सावधि जमाराशि	705	44	89
ii) सावधि मुद्रा	175	–	–
iii) अंतर कंपनी जमाराशि	477	–	–
iv) जमा प्रमाणपत्र	233	2	663
v) वाणिज्यिक पत्र	1,749	1,931	2,540
ज्ञापन :			
ख) अम्ब्रेला लिमिट	**13,001**	**15,157**	**19,001**
ग) अम्ब्रेला लिमिट का उपयोग (ख के प्रतिशत के रूप में)	**25.7**	**13.1**	**17.3**

– : शून्य/नगण्य

स्रोत : संबंधित वित्तीय संस्थाओं के तुलनपत्र ।

निधियों के स्रोत और उपयोग

5.22 वित्तीय संस्थाओं के कुल संसाधन/निधियों का नियोजन 2006-07 के दौरान तेजी से 80.0 प्रतिशत बढ़कर 1,80,862 करोड़ रुपए हो गया। उल्लेखनीय रूप से, वित्तीय संस्थाओं द्वारा 45.6 प्रतिशत निधियां आंतरिक रूप से और 48.6 प्रतिशत बाह्य स्रोतों से जुटाई गईं जबकि 5.8 प्रतिशत संसाधन अन्य स्रोतों से जुटाए गए। जुटाई गई निधियों का एक बड़ा हिस्सा नए नियोजनों (पिछले वर्ष के 71.9 प्रतिशत के विपरीत 58.8 प्रतिशत) में लगाया गया। पिछले उधारों की चुकौती में तीव्र वृद्धि हुई, जो पिछले वर्ष के 14.3 प्रतिशत के विपरीत कुल नियोजनों का 31.2 प्रतिशत थी। वर्ष के दौरान ब्याज भुगतान तेजी से बढ़े (सारणी V.5 और परिशिष्ट सारणी V.3)।

उधारों की लागत और परिपक्वता

5.23 2006-07 के दौरान आइएफसीआइ और टीएफसीआइ के संसाधनों की भारित औसत लागत थोड़ी घटी, जबकि निर्यात-आयात बैंक, सिडबी, नाबार्ड और राष्ट्रीय आवास बैंक की बढ़ी (सारणी V.6 और परिशिष्ट सारणी V.4)। टीएफसीआइ और राष्ट्रीय आवास बैंक के संसाधनों की भारित औसत परिपक्वता घटी, जबकि आइएफसीआइ, निर्यात-आयात बैंक, सिडबी ओर नाबार्ड के मामले में बढ़ी।

उधार की ब्याज दरें

5.24 जबकि वर्ष के दौरान राष्ट्रीय आवास बैंक ने मूल उधार दर (पीएलआर)में कोई परिवर्तन नहीं किया, निर्यात-आयात बैंक, टीएफसीआइ और सिडबी ने दर को बढ़ाया (सारणी V.7)।

सारणी V.5: वित्तीय संस्थाओं की निधियों के स्रोत का स्वरूप और विनियोजन*

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	2005-06	2006-07	प्रतिशत अंतर	
			2005-06	2006-07
1	2	3	4	5
क)निधियों के स्रोत (i+ii+iii)	**1,00,455 (100.0)**	**1,80,862 (100.0)**	**17.9**	**80.0**
(i) आंतरिक	63,557 (63.3)	82,441 (45.6)	18.7	29.7
(ii) बाह्य	33,475 (33.3)	87,844 (48.6)	15.7	162.4
(iii) अन्य@	3,424 (3.4)	10,578 (5.8)	23.7	208.9
ख) निधियों का विनियोजन (i+ii+iii)	**1,00,455 (100.0)**	**1,80,862 (100.0)**	**17.9**	**80.0**
(i) नए विनियोजन	72,273 (71.9)	1,06,295 (58.8)	35.6	47.1
(ii) पिछले उधारों की चुकौती	14,402 (14.3)	56,436 (31.2)	-28.1	291.9
(iii) अन्य विनियोजन	13,781 (13.7)	18,132 (10.0)	15.6	31.6
जिसमें से : ब्याज भुगतान	4,502 (4.5)	5,567 (3.1)	-2.1	23.7

* : आइएफसीआइ, टीएफसीआइ, नाबार्ड, एनएचबी, सिडबी और एग्जिम बैंक।

@ : बैंक में नकदी तथा जमा शेष (उपलब्ध नकदी), भा. रि. बैंक एवं अन्य बैंकों में जमा शेष सहित।

टिप्पणी : कोष्ठकों के आंकड़े कुल का प्रतिशत दर्शाते हैं।

स्रोत : संबंधित वित्तीय संस्थाएं।

वित्तीय संस्थाओं का वित्तीय कार्य-निष्पादन

5.25 चुनिंदा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं की निवल ब्याज आय 2005-06 के दौरान 2,555 करोड़ रुपए से बढ़कर 2006-07 के दौरान 2,598 करोड़ रुपए हो गई। पिछले वर्ष की तरह, वर्ष के दौरान वित्तीय संस्थाओं की ब्याज से इतर आय काफी बढ़ी। तथापि,

सारणी V.6: चुनिंदा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा बांड -रुपया डिबेंचरों द्वारा जुटाए गए रुपया संसाधनों की भारित औसत लागत और परिपक्वता

संस्था	भारित औसत लागत (प्रतिशत)		भारित औसत परिपक्वता वर्ष में	
	2005-06	2006-07	2005-06	2006-07
1	2	3	4	5
आइएफसीआइ	7.8	7.6	7.2	8.6
टीएफसीआइ	10.1	9.9	5.2	4.3
एग्जिम बैंक	6.9	7.3	4.6	4.9
सिडबी	5.9	6.5	3.9	4.5
नाबार्ड	5.8	8.7	3.5	5.0
एनएचबी	6.4	7.5	2.2	2.0

स्रोत : संबंधित वित्तीय संस्थाएं।

सारणी V.7: चुनिंदा वित्तीय संस्थाओं की मूल उधार दर संरचना

(प्रतिशत)

से प्रभावी	एनएचबी	एग्जिम बैंक	टीएफसीआइ	सिडबी
1	2	3	4	5
मार्च 2006	10.5	11.5	10.5	11.5
मार्च 2007	10.5	12.5	11.0	12.0

स्रोत : संबंधित वित्तीय संस्थाएं।

पिछले वर्ष तीव्र वृद्धि के विपरीत, वर्ष के दौरान वित्तीय संस्थाओं के परिचालन व्यय में 55.9 प्रतिशत की गिरावट दिखी। परिणाम के रूप में, वर्ष के दौरान परिचालन लाभ तेजी से बढ़कर 73.6 प्रतिशत हो गया। कराधान के लिए निर्धारित किए गए अधिक प्रावधान के बावजूद, यही स्थिति वित्तीय संस्थाओं के निवल लाभ के अधिक बढ़ने में परिलक्षित हुई (सारणी V.8)।

सारणी V.8: चुनिंदा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं का वित्तीय कार्य निष्पादन*

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	2005-06	2006-07	घट-बढ़	
			राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5
क) आय (क+ख)	**9,599**	**11,478**	**1,879**	**19.6**
क) ब्याज आय	8,246 (85.9)	9,565 (83.3)	1,319	16.0
ख) ब्याजेतर आय	1,353 (14.1)	1,913 (16.7)	560	41.4
ख) व्यय (क+ख)	**7,606**	**7,811**	**205**	**2.7**
क) ब्याज व्यय	5,691 (74.8)	6,967 (89.2)	1,276	22.4
ख) परिचालन व्यय	1,915 (25.2)	844 (10.8)	-1,071	-55.9
जिसमें से : वेतन बिल	372	462	90	24.2
ग) कराधान के लिए प्रावधान	**591**	**990**	**399**	**67.5**
घ) लाभ				
परिचालन लाभ (पीबीटी)	1,993	3,460	1,467	73.6
निवल लाभ (पीएटी)	1,402	2,470	1,068	76.2
ङ) वित्तीय अनुपात@				
परिचालन लाभ (पीबीटी)	1.4	2.1		
निवल लाभ (पीएटी)	1.0	1.5		
आय	6.6	6.9		
ब्याज आय	5.7	5.7		
अन्य आय	0.9	1.1		
व्यय	5.2	4.7		
ब्याज व्यय	3.9	4.2		
अन्य परिचालन व्यय	1.3	0.5		
वेतन बिल	0.3	0.3		
प्रावधान	0.4	0.6		
स्प्रेड (निवल ब्याज आय)	1.8	1.6		

* : आइएफसीआइ, आइडीबीआइ, टीएफसीआइ, नाबार्ड, एनएचबी, सिडबी और एग्जिम बैंक ।

@ : कुल अस्तियों के प्रतिशत के रूप में।

टिप्पणी : कोष्ठकों के आंकड़े संबंधित कुल का प्रतिशत हिस्सा हैं।

स्रोत : संबंधित वित्तीय संस्थाओं के तुलन पत्र। एनएचबी की अलेखापरीक्षित परोक्ष विवरणी। टीएफसीआइ लि. का लेखा परीक्षित सिमित पर्यवेक्षी विवरणी।

सारणी V.9: वित्तीय संस्थाओं के चुनिंदा वित्तीय मानदंड
(मार्च के अंत में)

(प्रतिशत)

संस्था	ब्याज आय/औसत कार्यशील निधि		ब्याजेतर आय/औसत कार्यशील निधि		परिचालन लाभ/औसत कार्यशील निधि		औसत आस्ति पर प्रतिलाभ		प्रति कर्मचारी निवल लाभ (करोड़ रुपए)	
	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
आइएफसीआइ	11.3	8.3	2.3	8.2	6.7	10.2	-0.6	5.8	-0.2	..
आइआइबीआइ	11.0	–	8.4	–	-1.4	–	..	–	-0.1	–
टीएफसीआइ	10.2	9.3	0.2	0.8	4.0	3.9	1.9	2.3	0.4	..
एग्जिम बैंक	7.6	8.1	0.6	0.5	2.1	1.7	1.5	1.3	1.4	1.4
नाबार्ड	6.3	6.8	-0.1	-0.2	2.1	1.8	1.8	1.6	0.2	0.2
एनएचबी*	6.2	6.8	0.2	0.1	1.1	0.9	0.5	0.5	1.1	..
सिडबी	6.2	7.1	0.2	0.4	3.4	3.8	2.0	2.2	0.3	0.4

– : न्यून/नगण्य। .. : उपलब्ध नहीं। * : जून के अंत की स्थिति ।

स्रोत : संबंधित वित्तीय संस्थाओं के तुलन पत्र। एनएचबी की अलेखापरीक्षित परोक्ष विवरणी।टीएफसीआइ लि. का लेखा परीक्षित सीमित पर्यवेक्षी विवरणी।

5.26 यद्यपि कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में सभी वित्तीय संस्थाओं की संयुक्त ब्याज आय 2006-07 के दौरान 5.7 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रही, आइएफसीआइ और टीएफसीआइ में कार्यशील पूंजी के प्रतिशत के रूप में ब्याज आय घटी, जबकि अन्य वित्तीय संस्थाओं में इसमें बढ़ोत्तरी हुई (सारणी V.9)। कुल आस्ति की तुलना में ब्याज से इतर आय अनुपात कुल स्तर पर पिछले वर्ष के 0.9 प्रतिशत से बढ़कर 2006-07 के दौरान 1.1 प्रतिशत हो गया। अलग-अलग वित्तीय संस्थाओं के स्तर पर आइएफसीआइ के लिए कुल कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज से इतर आय काफी बढ़ी, जबकि वर्ष के दौरान नाबार्ड के लिए यह ऋणात्मक बनी रही। 2006-07 के दौरान आइएफसीआइ और सिडबी के औसत कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में परिचालन लाभ में सुधार हुआ। यह अनुपात आइएफसीआइ में सर्वाधिक था, इसके पश्चात् टीएफसीआइ और सिडबी में। वर्ष के दौरान आइएफसीआइ, टीएफसीआइ और सिडबी के औसत आस्तियों पर प्रतिलाभ में सुधार हुआ। वर्ष के दौरान सिडबी का प्रति कर्मचारी निवल लाभ बढ़ा । 2006-07 के दौरान निर्यात-आयात बैंक के मामले में प्रति कर्मचारी निवल लाभ 1 करोड़ रुपए से अधिक था।

सुदृढ़ता संकेतक

आस्ति गुणवत्ता

5.27 समग्र रूप से, 2006-07 के दौरान निर्यात-आयात बैंक और नाबार्ड का निवल एनपीए बढ़ा, जबकि सिडबी का तेजी से घटा (सारणी V.10)। तथापि, निवल ऋण की तुलना में निवल एनपीए अनुपात के रूप में, सिडबी की आस्ति गुणवत्ता तेजी से बढ़ी, जबकि निर्यात-आयात बैंक की मामूली रूप से बढ़ी।

5.28 टीएफसीआइ को छोड़कर, सभी प्रमुख वित्तीय संस्थाओं की मानक आस्तियों में हुई वास्तविक वृद्धि के कारण भी आस्ति गुणवत्ता मे सुधार देखा गया (सारणी V.11)। 2006-07 के दौरान आइएफसीआइ, आइआइबीआइ, टीएफसीआइ और सिडबी ने संदिग्ध श्रेणी में अपनी आस्तियों को घटाकर 10 करोड़ रुपए से कम कर दिया, जबकि आइएफसीआइ की कोई संदिग्ध आस्तियां नहीं थीं। मार्च 2007 के अंत में 'हानि' श्रेणी में किसी वित्तीय संस्था की कोई आस्तियां नहीं थीं।

पूंजी पर्याप्तता

5.29 वित्तीय कंपनियों का पूंजी पर्याप्तता अनुपात 9 प्रतिशत के निर्धारित न्यूनतम मानदंड की तुलना में काफी अधिक बना रहा

सारणी V.10: निवल अनर्जक आस्तियाँ
(मार्च के अंत में)

(राशि करोड़ रुपए में)

संस्था	निवल अनर्जक आस्तियाँ		निवल अनर्जक आस्तियाँ/ निवल ऋण (प्रतिशत)	
	2006	2007	2006	2007
1	2	3	4	5
आइएफसीआइ	667	–	9.1	–
आइआइबीआइ	132	–	13.1	–
टीएफसीआइ	15	–	3.0	–
एग्जिम बैंक	105	115	0.6	0.5
नाबार्ड	–	23	–	–
एनएचबी*	–	–	–	–
सिडबी	261	22	1.9	0.1

– : न्यून/नगण्य

* : जून के अंत की स्थिति ।

स्रोत : संबंधित वित्तीय संस्थाओं के तुलन पत्र। एनएचबी की अलेखापरीक्षित परोक्ष विवरणी। टीएफसीआइ लि. का लेखा परीक्षित सीमित पर्यवेक्षी विवरणी।

सारणी V.11: वित्तीय संस्थाओं का आस्ति वर्गीकरण

(राशि करोड़ रुपए में)

संस्था	मार्च के अंत में							
	मानक		अवमानक		संदिग्ध		हानि	
	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आइएफसीआइ	6,635	6,791	54	–	613	–	–	–
आइआइबीआइ	874	–	14	–	118	–	–	–
टीएफसीआइ	546	399	–	–	15	–	–	–
एग्ज़िम बैंक	17,692	22,772	105	108	–	7	–	–
नाबार्ड	58,088	69,485	–	18	–	5	–	–
एनएचबी*	16,241	18,917	–	–	–	–	–	–
सिडबी	13,001	15,511	1	17	260	5	–	–

– : शून्य/नगण्य । * : जून के अंत की स्थिति ।
स्रोत: वित्तीय संस्थाओं के तुलनपत्र।

(सारणी V.12)। वर्ष के दौरान बेहतर लाभ के कारण आइएफसीआइ और टीएफसीआइ के सीआरएआर में काफी बढ़ोतरी हुई। राष्ट्रीय आवास बैंक का सीआरएआर मामूल रूप से बढ़ा, जबकि वर्ष के दौरान निर्यात-आयात बैंक, नाबार्ड और सिडबी का घटा।

3. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी)

5.30 भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 को 1997 में संशोधित करने से रिज़र्व बैंकों को एनबीएफसी के विनियमन के व्यापक अधिकार प्राप्त हुए। संशोधित अधिनियम में अन्य बातों के साथ-साथ सभी एनबीएफसी के पंजीयन का प्रावधान किया गया है। एनबीएफसी को दो व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता हैं, यथा : (i) जनता की जमाराशि स्वीकारने वाली एनबीएफसी और (ii) जनता की जमाराशि स्वीकार/धारित न करनेवाली एनबीएफसी।

5.31 इस भाग में मुख्यतया वर्ष दौरान की रिज़र्व बैंक की विनियामक और पर्यवेक्षी पहलों की चर्चा की गई है। एनबीएफसी और अवशिष्ट गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (आरएनबीसी) के परिचालनों पर उनके भिन्न स्वरूप के कारण अलग से चर्चा की गई है। इसके अलावा, जनता की जमाराशि स्वीकार न करने वाली एनबीएफसी, जिनकी आस्तियों की मात्रा 100 करोड़ रुपए और अधिक है, के परिचालनों का विश्लेषण भी उनके परिचालनों के प्रणालीगत प्रभाव के कारण अलग से किया गया है।

विनियामक और पर्यवेक्षी पहलें

5.32 रिज़र्व बैंक एनबीएफसी क्षेत्र को सक्रिय और बेहतर बनाने की दृष्टि से 1997 से एनबीएफसी के विनियामक और पर्यवेक्षी ढांचे को मजबूत बना रहा है। इन प्रयासों को 2006-07 के दौरान और आगे बढ़ाया गया। वर्ष के दौरान, विनियामक अंतर को कम करने के

सारणी V.12: चुनिंदा वित्तीय संस्थाओं का पूंजी पर्याप्तता अनुपात*

(प्रतिशत)

संस्था	मार्च के अंत में						
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
1	2	3	4	5	6	7	8
आइएफसीआइ	6.2	3.1	1.0	-17.0	-23.4	-27.9	14.0
आइआइबीआइ	13.9	9.2	-11.0	-20.1	-41.1	-64.2	–
टीएफसीआइ	18.6	18.5	19.8	22.8	27.4	34.9	40.9
एग्ज़िम बैंक	23.8	33.1	26.9	23.5	21.6	18.4	16.4
नाबार्ड	38.5	36.9	39.1	39.4	38.8	34.4	27.0
एनएचबी @	16.8	22.1	27.9	30.5	22.5	22.3	24.0
सिडबी	28.1	45.0	44.0	51.6	50.7	43.2	37.5

* : प्रावधानीकरण और राइट-ऑफ को कम करके।
@ : जून के अंत की स्थिति ।
स्रोत: संबंधित संस्थाओं के तुलनपत्र।

लिए प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण एनबीएफसी के संबध में विनियामक ढांचे को मजबूत करने पर बल दिया गया। प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार न करने वाली एनबीएफसी को परिभाषित किया गया और इन संस्थाओं के लिए विवेकसम्मत मानदंड निर्धारित किए गए। वर्ष के दौरान की गई कुछ मुख्य विनियामक और पर्यवेक्षी पहलें निम्नवत् हैं ।

एनबीएफसी का पुनर्वर्गीकरण

5.33 दिनांक 6 दिसंबर 2006 तक एनबीएफसी को उपस्कर पट्टे देनेवाली, किराया खरीद, निवेश कंपनियों और ऋण कंपनियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता था। आटोमोबाइल, सामान्य प्रयोजन औद्योगिक मशीनरी जैसे आर्थिक कार्यों में सहायता करने वाली संपदा/भौतिक आस्तियों का वित्तपोषण करने वाली कंपनियों को आस्ति वित्तपोषण वाली कंपनियों के रूप में पुनर्वर्गीकृत करने की घोषणा 2006-07 के वार्षिक नीति वक्तव्य की मध्यावधि समीक्षा में की गई थी। इसके अनुसरण में, सभी एनबीएफसी को 6 दिसंबर 2006 को सूचित किया गया कि एनबीएफसी का पुनर्वर्गीकरण आस्ति वित्त कंपनी, निवेश कंपनी और ऋण कंपनी के रूप में होगा।

5.34 आस्ति वित्त कंपनी की परिभाषा के अंतर्गत वह कंपनी आती है जो एक वित्तीय संस्था है और जिसका मुख्य कारोबार आटोमोबाइल, ट्रैक्टर, जनरेटर सेट, अर्थ मूविंग और मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट, खुद की ऊर्जा पर चलने वाली और सामान्य प्रयोजन औद्योगिक मशीनों जैसी भौतिक आस्तियों का वित्तपोषण करना है जो उत्पादक/आर्थिक कार्यों की सहायता करती है। इस प्रयोजनार्थ मुख्य कारोबार को आर्थिक कार्यों में सहायक संपदा/भौतिक आस्ति के कुल वित्तपोषण और उससे प्राप्त आय को परिभाषित किया गया है जो कुल आस्तियों तथा कुल आय के क्रमशः 60 प्रतिशत से कम न हो। आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण मानदंड के प्रयोजनार्थ किया गया वर्गीकरण आस्ति विशेष पर आधारित है, अतः विद्यमान विवेकसम्मत मानदंड अब तक की भांति जारी रहेंगे। उक्त शर्तें पूंरी करने वाली कंपनियों को सूचित किया गया है कि वे आस्ति वित्त कंपनियों के रूप में उनके वर्गीकरण की मान्यता के लिए रिज़र्व बैंक के उस क्षेत्रीय कार्यालय से संपर्क करें जिसके कार्य क्षेत्र में उनका पंजीकृत कार्यालय स्थित है। वे अपने आवेदन के साथ रिज़र्व बैंक द्वारा जारी पंजीयन का मूल प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत करें । अपने अनुरोध के समर्थन में उनके पास उनके सांविधिक लेखा परीक्षक का प्रमाणपत्र होना चाहिए जिसमें कंपनी का 31 मार्च 2006 का आस्ति/आय स्वरूप दिखाया गया हो। वर्गीकरण में किए गए परिवर्तन को रिज़र्व बैंक द्वारा जारी पंजीयन प्रमाणपत्र में शामिल किया जाएगा जो जमाराशि स्वीकार करने वाली कंपनी के मामले में एनबीएफसी आस्ति वित्त कंपनी (एनबीएफसी-डी-एएफसी) और जमाराशि स्वीकार न करने वाली कंपनी के मामले में एनबीएफसी-एनडी-एएफसी के रूप में होगा।

प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण एनबीएफसी का वित्तीय विनियमन और उनके साथ बैंकों का संबंध

5.35 बैंकों और एनबीएफसी और एनबीएफसी की विभिन्न श्रेणियों के बीच भी उनके कार्यों पर विनियमन के विभिन्न स्तर लगाने से विनियमन के कवरेज में असमानता संबंधी कुछ मामले उभरे हैं। अतः रिज़र्व बैंक ने वित्तीय क्षेत्र में समान अवसर कार्यक्षेत्र, विनियम में एकरूपता और विवाचन संबंधी मामलों की जांच के लिए आंतरिक दल गठित किया। इस दल की सिफारिशों के आधार पर और उस पर प्राप्त प्रतिसूचना को ध्यान में रखते हुए प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण एनबीएफसी (एनबीएफसी-एनडी-एसआइ) के समग्र विनियमन संबंधी मामलों और बैंकों तथा एनबीएफसी के बीच के संबंध पर ध्यान देने के लिए 12 दिसंबर 2006 को संशोधित ढांचा लागू किया गया।

5.36 अंतिम लेखा परीक्षित तुलनपत्र के अनुसार 100 करोड़ रुपए और अधिक की आस्ति वाली सभी एनबीएफसी-एनडी को अब प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण एनबीएफसी-एनडी (एनबीएफसी-एनडी-एसआइ) माना जाता है। एनबीएफसी-एनडी-एसआइ से अपेक्षित है कि वे 10 प्रतिशत का न्यूनतम सीआरएआर बनाए रखें। किसी भी एनबीएफसी-एनडी-एसआई को निम्न की अनुमति नहीं है : (i) उसकी स्वाधिकृत निधि के 15 प्रतिशत/25 प्रतिशत से अधिक का उधार किसी एक उधारकर्ता/उधारकर्ताओं के समूह को देना; (ii) उसकी स्वाधिकृत निधि के 15 प्रतिशत /25 प्रतिशत से अधिक की राशि का किसी अन्य कंपनी/कंपनियों के एकल समूह के शेयरों में निवेश; और (iii) उसकी स्वाधिकृत निधि के 25 प्रतिशत से अधिक की राशि किसी एकल पार्टी को और उसकी स्वाधिकृत निधि के 40 प्रतिशत से अधिक की राशि पार्टियों के एकल समूह को उधार देना या निवेश करना (ऋण/निवेश मिलाकर)।

5.37 यदि अतिरिक्त जोखिम (एक्सपोज़र) बुनियादी ऋण और/या निवेश के कारण है तो एनबीएफसी को अनुमति है कि वे किसी एकल पार्टी या पार्टियों के एकल समूह के प्रति ऋण/निवेश की निर्धारित सीमा बढ़ा सकती हैं, अर्थात किसी, एकल पार्टी के लिए 5 प्रतिशत और पार्टियों के एकल समूह के लिए 10 प्रतिशत। एनबीएफसी-डी और एनबीएफसी-एनडी-एसआइ के लिए निर्धारित एकल पार्टी और पार्टियों के एकल समूह जोखिम मानदंड के अलावा,

एएफसी को अनुमति है कि वे अपने बोर्डों के अनुमोदन से अपवादात्मक स्थिति में एकल पार्टी और पार्टियों के एकल समूह के प्रति जोखिम उनकी स्वाधिकृत निधि के 5 प्रतिशत अंक तक बढ़ा सकती हैं। जनता की निधि तक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरीकों से पहुंच न होने वाली एनबीएफसी-एनडी-एसआइ जोखिम सीमा की भावना के अनुरूप उपयुक्त छूट के लिए रिज़र्व बैंक को आवेदन कर सकते हैं। इस बात की संभावना को ध्यान में रखते हुए कि कुछ एनबीएफसी संशोधित विनियामक ढांचे के कुछ अंशों का अनुपालन नहीं कर रही होंगी, उन्हें मार्च 2007 की समाप्ति तक संक्रमण अवधि उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया। तदनुसार, 1 अप्रैल 2007 से एनबीएफसी से अपेक्षित है कि वे संशोधित ढांचे के सभी घटकों का अनुपालन करें।

5.38 अवशिष्ट एनबीसी (आरएनबीसी) और प्राथमिक व्यापारियों पर विनियमों का अलग सेट लागू है। रिज़र्व बैंक ने इन संस्थाओं के लिए लागू विद्यमान दिशानिर्देशों की समीक्षा के लिए आंतरिक दल का गठन किया जो संशोधित दिशानिर्देशों के आलोक में होगा और अनुपूरक दिशानिर्देशों के निर्धारण की आवश्यकता की जांच करेगा जो अलग से जारी किए जाएंगे। उस समय तक, इन संस्थाओं पर विद्यमान विनियम लागू रहेंगे।

5.39 वर्तमान में, सरकारी स्वामित्व वाली एनबीएफसी को एनबीएफसी विवेकपूर्ण मानदंड (रिज़र्व बैंक) निदेश, 1998 के कुछ प्रावधानों से छूट प्राप्त है। तथापि, जमाराशि स्वीकारने वाली और प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण सरकारी स्वामित्व की सभी कंपनियों को 1998 के निदेश के अंतर्गत लाने का प्रस्ताव है। किंतु, वह तिथि बाद में तय की जाएगी जब से वे विनियामक ढांचे का पूरा अनुपालन करेंगी। अतः, इन कंपनियों से अपेक्षित था कि वे सरकार से परामर्श करके एनबीएफसी विनियमों के विभिन्न अंशों के अनुपालन का रोडमैप तैयार करें और उसे 31 मार्च 2007 तक रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत करें।

5.40 प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण जमाराशि न लेने वाली/न रखने वाली एनबीएफसी (एनबीएफसी-एनडी-एसआइ) की 12 दिसंबर 2006 की स्थिति के अनुसार विनियामक ढांचे का अनुपालन सुनिश्चित करने की दृष्टि से ऐसी कंपनियों को 27 अप्रैल 2007 को सूचित किया गया कि वे प्रति वर्ष मार्च की समाप्ति पर अन्य के अलावा पूंजीगत निधि, जोखिम आस्ति अनुपात के वार्षिक विवरण प्रस्तुत करें। ऐसी पहली विवरणी 31 मार्च 2007 को समाप्त वर्ष के लिए प्रस्तुत की जानी थी। यह विवरणी प्रति वर्ष वित्तीय वर्ष की समाप्ति से तीन माह के भीतर प्रस्तुत की जाए।

एक्सपोजर मानदंड और जोखिम भार

5.41 रिज़र्व बैंक ने एनबीएफसी विवेकपूर्ण मानदंड (रिज़र्व बैंक) निदेश, 1998 संशोधित किया है। संशोधित निदेश के अंतर्गत एनबीएफसी को 20 सितंबर 2006 को सूचित किया गया कि एक्सपोजर भार देने के प्रयोजनार्थ किसी उधारकर्ता के कुल निधिगत एक्सपोजर की गणना करते समय नकदी मार्जिन/प्रतिभूति जमाराशि/अवधान राशि से संपार्श्विकीकृत उधारकर्ता अग्रिमों, जिनके प्रति समंजन उपलब्ध है, के संबंध में कुल बकाया एक्सपोजर के प्रति समायोजित कर सकते हैं।

प्रतिभूतिकरण कंपनियां और पुनर्गठन कंपनियां

5.42 रिज़र्व बैंक ने 29 मार्च 2004 को प्रतिभूतिकरण या आस्ति पुनर्गठन कारोबार शुरू करने की न्यूनतम स्वाधिकृत निधि की राशि बढ़ाकर प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्गठन कंपनी द्वारा अधिगृहीत की गई या की जाने वाली कुल वित्तीय आस्ति का न्यूनतम 15 प्रतिशत अथवा 100 करोड़ रुपए, इनमें से जो भी कम हो, की गई भले ही आस्तियां प्रतिभूतिकरण के प्रयागेजनार्थ गठित न्यास को अंतरित की गई हों या नहीं। प्रतिभूतिकरण कंपनियों/पुननिर्माण कंपनियों को निवेश दिया गया कि वे प्रतिभूतिकरण के प्रयोजन के लिए स्थापित न्यास द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों में स्वाधिकृत निधि की रकम का निवेश करें। तथापि, 20 सितंबर 2006 को यह निर्णय लिया गया कि प्रतिभूतिकरण कंपनियां या पुनर्गठन कंपनियां तुरंत प्रभाव से प्रत्येक योजना के अंतर्गत जारी राशि की न्यूनतम 5 प्रतिशत राशि प्रतिभूति रसीद में निवेश करेंगी। जो प्रतिभूतिकरण कंपनियाँ या पुनर्गठन कंपनियाँ पहले ही प्रतिभूति रसीद जारी कर चुकी हैं, वे अधिसूचना की तिथि से छह माह के भीतर प्रत्येक योजना में प्रतिभूति रसीदों में न्यूनतम अभिदान सीमा प्राप्त करें।

5.43 रिज़र्व बैंक ने 19 अक्तूबर 2006 को निदेश दिया कि जिस प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्गठन कंपनी ने वित्तीय आस्ति का प्रतिभूतिकरण और पुनर्संरचना एवं प्रतिभूति ब्याज का प्रवर्तन (एसएआरएफएइएसआइ -सरफाइसी) अधिनियम, 2002 की धारा 3 के तहत रिज़र्व बैंक से पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त किया है, उसे पंजीयन प्रमाणपत्र स्वीकृति की तिथि से छह माह के भीतर कारोबार शुरू करना चाहिए। प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्गठन कंपनी से अनुरोध प्राप्त होने पर रिज़र्व बैंक गुण-दोष के आधार पर कारोबार शुरू करने के लिए छह माह से अधिक का समय दे सकता है किंतु किसी भी स्थिति में ऐसी विस्तारित अवधि पंजीयन प्रमाणपत्र स्वीकृति की तिथि से 12 माह से अधिक नहीं होगी। उक्त अधिनियम के धारा 3 के तहत रिज़र्व बैंक से पहले ही पंजीयन प्रमाणपत्र प्राप्त कर चुकी प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्गठन कंपनी से अपेक्षित

था कि वे निदेश की अधिसूचना की तिथि से छह माह की अवधि के भीतर कारोबार शुरू करें।

एनबीएफआइ का कारोबार जारी रखना - सांविधिक लेखा परीक्षक का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना

5.44 यह देखा गया कि ऐसी कई एनबीएफसी थीं जो एनबीएफआइ का कार्य नहीं करती थीं किंतु उनके पास पंजीयन प्रमाणपत्र थे, यद्यपि वे रिज़र्व बैंक द्वारा स्वीकृत पंजीयन प्रमाणपत्र रखने हेतु पात्र नहीं थीं/ उन्हें ऐसा प्रमाणपत्र रखने की आवश्यकता नहीं थी। यह सुनिश्चित करने के लिए कि एनबीएफआइ का कारोबार वास्तव में करने वाली एनबीएफसी को ही पंजीयन प्रमाणपत्र मिले, एनबीएफसी को 21 सितंबर 2006 को सूचित किया गया था कि उन्हें अपने सांविधिक लेखा परीक्षकों का प्रमाणपत्र प्रति वर्ष प्रस्तुत करना चाहिए जो इस आशय का हो कि वे उस एनबीएफआइ का कारोबार कर रही हैं जिसके लिए भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइए के तहत पंजीयन प्रमाणपत्र रखना आवश्यक होता है। इस संबंध में कंपनी की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार सांविधिक लेखा परीक्षक का प्रमाणपत्र रिज़र्व बैंक के उस क्षेत्रीय कार्यालय को प्रति वर्ष 30 जून तक प्रस्तुत करना होता है जिसके कार्य क्षेत्र में एनबीएफसी पंजीकृत है ।

मुख्य कारोबार की परिभाषा

5.45 एनबीएफआइ के मामले में 'मुख्य कारोबार' की परिभाषा अधिनियम में नहीं दी गई है। तथापि, रिज़र्व बैंक ने किसी एनबीएफसी की पहचान के प्रयोजनार्थ मुख्य कारोबार परिभाषित करने का निर्णय लिया। 19 अक्तूबर 2006 को यह स्पष्ट किया गया कि गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था (एनबीएफआइ) के कारोबार का अर्थ उस कंपनी से है जो भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 आई(ए) में वर्णित वित्तीय संस्था का कारोबार करने वाली कंपनी है। इस प्रयोजनार्थ, 8 अप्रैल 1999 की प्रेस विज्ञप्ति में दी गई 'मुख्य कारोबार' की परिभाषा अपनानी है, जिसके अनुसार वह कंपनी एनबीएफसी मानी जाएगी जिसकी वित्तीय आस्तियां उसकी कुल आस्तियों के 50 प्रतिशत से अधिक है (अमूर्त आस्तियां हटाकर) और वित्तीय आस्तियों से होनेवाली आय सकल आय के 50 प्रतिशत से अधिक है। किसी कंपनी के मुख्य कारोबार के लिए निर्धारक कारक के रूप में इन दोनों शर्तों का पूरा होना आवश्यक है। एनबीएफआइ के रूप में कार्य करने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा पंजीयन प्रमाणपत्र प्रदान की गई किसी विद्यमान कंपनी के मामले में यह संभव है कि उसके कारोबार के विन्यास (प्रोफाइल) में समय के अंतराल में परिवर्तन हुए हों। नयी कंपनियों के मामलो में चूंकि कंपनियां पंजीयन प्रमाणपत्र मिले बिना एनबीएफआइ का कारोबार शुरू नहीं कर सकती, अतः रिज़र्व बैंक एनबीएफआइ का कारोबार करने के लिए उनके इरादे के आधार पर पंजीयन प्रमाणपत्र प्रदान करता है। किंतु कई बार कंपनियां इरादे के अनुसार कारोबार शुरू नहीं कर पाती हैं । अतः यह संभव है कि ऐसी कंपनियां अस्तित्व में हों जिनके पास एनबीएफआइ कार्य वास्तव में किए बिना एनबीएफआइ का कारोबार शुरू करने/जारी रखने का पंजीयन प्रमाणपत्र हो। यही कारण था कि एनबीएफआइ का कारोबार शुरू करने/जारी रखने के समर्थन में लेखा परीक्षक के प्रमाणपत्र का प्रस्तुतीकरण और मुख्य कारोबार का मानदंड पूरा किया जाना निर्धारित किया गया।

उचित व्यवहार संहिता संबंधी दिशानिर्देश

5.46 एनबीएफसी को 28 सितंबर 2006 को सूचित किया गया कि वे उचित व्यवहार पर व्यापक दिशानिर्देश निर्धारित करें जो सभी एनबीएफसी (आरएनबीसी सहित) के निदेशक मंडल द्वारा बनाए गए और अनुमोदित किए गए हों। निदेशक मंडल द्वारा इस प्रकार बनाई गई और अनुमोदित उचित व्यवहार संहिता जनता की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाए तथा यदि कंपनी की वेबसाइट हो तो उस पर प्रसारित की जाए। दिशानिर्देशों की मुख्य विशेषताएं निम्नवत् हैं : (i) ऋण आवेदन फार्म में उधारकर्ता के हित को प्रभावित करने वाली आवश्यक जानकारी शामिल होनी चाहिए ताकि एनबीएफसी द्वारा प्रस्तावित शर्तों की अर्थपूर्ण तुलना की जा सके और उधारकर्ता द्वारा पर्याप्त जानकारी के आधार पर निर्णय लिया जा सके; (ii) एनबीएफसी को सभी ऋण आवेदनों की प्राप्ति-सूचना देने की प्रणाली विकसित करनी चाहिए और अधिमानतः वह समय सीमा भी बतानी चाहिए जिसके भीतर ऋण आवेदनों का निपटान किया जाएगा; (iii) एनबीएफसी को स्वीकृति पत्र या किसी अन्य माध्यम से उधारकर्ता को लिखित रूप में स्वीकृत ऋण की सूचना देनी चाहिए जिसके साथ ब्याज की वार्षिक दर, उसके लागू करने के तरीके सहित शर्तें भी सूचित करनी चाहिए तथा उधारकर्ताओं द्वारा इन शर्तों की स्वीकृति को रिकार्ड पर रखना चाहिए; (iv) एनबीएफसी ने अन्य बातों के साथ-साथ संवितरण अनुसूची, ब्याज दर, सेवा प्रभार, भुगतान प्रभार सहित शर्तों में किसी भी बदलाव की जानकारी उधारकर्ता को देनी चाहिए; (v) करार के तहत भुगतान या निष्पादन रिकॉल करने/ त्वरित करने का निर्णय ऋण करार के अनुरूप होना चाहिए; (vi) एनबीएफसी को सभी देयताओं की चुकौती पर या ऋण की शेष राशि प्राप्त होने पर सभी प्रतिभूतियां वापस कर देनी चाहिए बशर्ते उधारकर्ता के प्रति किसी अन्य दावे के लिए इन पर एनबीएफसी का कानूनी हक या ग्रहणाधिकार न हो ; (vii) एनबीएफसी को ऋण करार की शर्तों में दिए गए प्रयोजनों को छोड़कर उधारकर्ता के मामलों में हस्तक्षेप करने से बचना चाहिए; (viii) उधारकर्ता से उधार खाते के अंतरण का अनुरोध प्राप्त होने पर सहमति या अन्यथा, अर्थात् एनबीएफसी की आपत्ति, यदि कोई हो, की सूचना अनुरोध प्राप्ति से 21 दिनों के भीतर देनी चाहिए; (ix) ऋण वसूली के मामले में

एनबीएफसी द्वारा उधारकर्ता को अनुचित रूप से परेशान नहीं किया जाना चाहिए; और (x) एनबीएफसी के निदेशक मंडल को इस संबंध में विवादों के निपटारे के लिए संगठन के भीतर शिकायत निपटान की उचित व्यवस्था करनी चाहिए।

नियंत्रण/प्रबंधन में बदलाव के बारे में पूर्व सार्वजनिक सूचना

5.47 अवशिष्ट गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों सहित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को समय-समय पर सूचित किया गया कि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के प्रबंधन और नियंत्रण में परिवर्तन होने पर बिक्री अथवा शेयरों की बिक्री द्वारा स्वामित्व के अंतरण, अथवा नियंत्रण के अंतरण, अथवा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के अन्य गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के साथ अथवा गैर वित्तीय कंपनी के साथ समामेलन/विलय के 30 दिन पहले सार्वजनिक पूर्व सूचना गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी और साथ ही अंतरणकर्ता अथवा अंतरिती द्वारा दी जानी चाहिए। मामले की समीक्षा की गयी तथा अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियों सहित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को 27 अक्तूबर 2006 को सूचित किया गया कि इस प्रकार की पूर्व सार्वजनिक सूचना गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी तथा साथ ही अंतरणकर्ता अथवा अंतरिती अथवा संबंधित पक्षों द्वारा संयुक्त रूप से दी जाए।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा म्यूचुअल फंड के उत्पादों का वितरण/को-ब्रैंडेड क्रेडिट कार्डों का निर्गम

5.48 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को विशाखीकरण के जरिये सुदृढ़ बनाने और 31 अक्तूबर 2006 को वर्ष 2006-07 के लिए वार्षिक नीति वक्तव्य की मध्यावधि समीक्षा में की गयी घोषणा के अनुसरण में 4 दिसंबर 2006 को यह निर्णय लिया गया कि चयनात्मक आधार पर गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को शुरू के दो वर्षों की अवधि के लिए रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन से म्यूचुअल फंडों के एजेंट के रूप में म्यूचुअल फंड के उत्पादों के विपणन और वितरण की अनुमति दी जाए। 4 दिसंबर 2006 को यह भी निर्णय लिया गया कि रिज़र्व बैंक के पास पंजीकृत गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को, चयनात्मक आधार पर, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के साथ, जोखिम बांटे बिना, रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन से शुरू के दो वर्षों की अवधि के लिए को-ब्रैंडेड क्रेडिट कार्ड जारी करने की अनुमति दी जाए। निम्नलिखित न्यूनतम अपेक्षाएं पूरी करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां आवेदन करने के लिए पात्र है : (i) न्यूनतम निवल स्वाधिकृत निधि 100 करोड़ रुपए हो; (ii) पिछले दो वर्षों के लेखा-परीक्षित तुलनपत्रों के अनुसार कंपनी ने निवल लाभ कमाया हो; (iii) पिछले लेखा-परीक्षित तुलनपत्र के अनुसार गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के निवल अग्रिमों के प्रति निवल अनर्जक आस्तियों का प्रतिशत 3 प्रतिशत से अधिक न हो; तथा (iv) जमा न लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का सीआरएआर 10 प्रतिशत हो तथा जमा लेनेवाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का सीआरएआर 12 प्रतिशत या 15 प्रतिशत हो, जैसाकि कंपनी पर लागू हो। इसके अलावा, म्यूचुअल फंड के प्रोडक्टों के वितरण के लिए गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी को (i) सेबी के दिशानिर्देशों/विनियमों का पालन करना चाहिए, (ii) उन्हें अपने ग्राहकों को उनके द्वारा प्रायोजित विशेष म्यूचुअल फंड के प्रोडक्ट खरीदने के लिए मजबूर करने जैसी प्रतिबंधात्मक प्रथा नहीं अपनानी चाहिए तथा (iii) ग्राहकों को अपने चुनाव का प्रयोग करने की अनुमति दी जानी चाहिए। को-ब्रैंडेड क्रेडिट कार्ड के व्यवसाय के मामले में टाइ-अप व्यवस्था के तहत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की भूमिका को-ब्रैडेंड क्रेडिट कार्डों के विपणन और वितरण तक सीमित होनी चाहिए तथा संबंधित विनियामक प्राधिकरण द्वारा जारी अनुदेश/दिशा-निर्देश को-ब्रैंडेड क्रेडिट कार्ड जारी करने वाले बैंक पर लागू होंगे। दिशानिर्देशों की समीक्षा दो वर्ष बाद की जाएगी।

सार्वजनिक जमाराशियों के लिए रक्षा (कवर) - चलनिधि आस्तियों पर चल प्रभार का सृजन

5.49 सार्वजनिक जमाराशियां स्वीकार करने वाली/रखने वाली सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को फरवरी 2005 में सूचित किया गया कि वे भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईबी के अनुसार निवेशित सांविधिक चलनिधि आस्तियों पर अपने जमाकर्ताओं के पक्ष में चल प्रभार का सृजन करें। बड़ी संख्या में जमाकर्ताओं के पक्ष में सांविधिक चलनिधि आस्तियों पर प्रभार के सृजन में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा व्यक्त की गई व्यावहारिक कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, जनवरी 2007 में यह निर्णय लिया गया कि सार्वजनिक जमाराशियां स्वीकार करने/रखने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां 'न्यास विलेख' की प्रक्रिया के माध्यम से जमाकर्ताओं के पक्ष में सांविधिक चलनिधि आस्तियों पर चल प्रभार का सृजन करें। प्रभार को कंपनियों के रजिस्ट्रार के पास पंजीकृत करना अपेक्षित है तथा इस बारे में जानकारी न्यासियों तथा रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत करना अपेक्षित है। ब्यौरेवार 'न्यास विलेख का मसौदा' तथा 'न्यासी दिशानिर्देश' प्रत्येक की एक-एक प्रति गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के मार्गदर्शन के लिए भेजी गयी। उन्हें 31 मार्च 2007 तक एक व्यवस्था बनाने के लिए भी सूचित किया गया।

पारस्परिक लाभवाली वित्तीय कंपनियों तथा पारस्परिक लाभवाली कंपनियों द्वारा *विवरणी का प्रस्तुतीकरण*

5.50 कंपनी कार्य मंत्रालय ने पारस्परिक लाभवाली वित्तीय कंपनी (अधिसूचित निधि) तथा पारस्परिक लाभवाली कंपनियों (संभाव्य निधि) के समग्र विनियमन का अधिग्रहण कर लिया। तदनुसार, पारस्परिक लाभवाली वित्तीय कंपनियों तथा पारस्परिक लाभवाली कंपनियों द्वारा वार्षिक विवरणियों के प्रस्तुतीकरण संबंधी स्थिति की समीक्षा रिज़र्व बैंक द्वारा की गई तथा 4 जनवरी 2007 को यह निर्णय

लिया गया कि पारस्परिक लाभवाली वित्तीय कंपनियों तथा पारस्परिक लाभवाली कंपनियों से गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी सार्वजनिक जमाराशि स्वीकरण (रिज़र्व बैंक) निदेशावली, 1998 में उल्लिखित वार्षिक विवरणी, लेखा परीक्षित तुलनपत्र तथा लाभ-हानि खाता, लेखा परीक्षक का प्रमाणपत्र और अन्य ब्यौरे नहीं मंगाए जाएं । तथापि यदि कंपनी कार्य मंत्रालय द्वारा निधि की हैसियत की स्वीकृति के लिए पारस्परिक लाभवाली कंपनियों (संभाव्य निधि) के आवेदन को अस्वीकृत कर दिया गया, तो उक्त निदेशावली, 1998 के प्रावधान, जैसाकि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों पर लागू हैं, ऐसी कंपनियों पर लागू होंगे।

विवकपूर्ण मानदंड

5.51 प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण जमा न लेनेवाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए, 12 दिसम्बर 2006 के अनुसार, निर्धारित विनियामक रूपरेखा के प्रावधानों के अनुसार गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी विवेकपूर्ण मानदंड (रिज़र्व बैंक) निदेशावली, 1998 में संशोधन की अपेक्षा की गई । तथापि यह महसूस किया गया कि जमा लेनेवाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (आरएनबीसी सहित) तथा जमाराशि न लेनेवाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए उनके परिचालनात्मक सुविधा हेतु वर्तमान गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी विवेकपूर्ण मानदंड (रिज़र्व बैंक) निदेशावली, 1998 का अधिक्रमण करते हुए अलग से विवेकपूर्ण मानदंड विनियामावली का सेट जारी किया जाए । तदनुसार, विवेकपूर्ण मानदंड निदेशावली के 2 सेट, अर्थात् जमा लेनेवाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (आरएनबीसी सहित) के लिए गैर-बैंकिंग वित्तीय (जमा स्वीकरण या धारण) कंपनी विवेकपूर्ण मानदंड (रिज़र्व बैंक) निदेशावली, 2007 और जमा न लेनेवाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए गैर-बैंकिंग वित्तीय (जमा न लेनेवाली या धारण न करनेवाली) कंपनी विवेकपूर्ण मानदंड (रिज़र्व बैंक) निदेशावली, 2007 फरवरी 2007 में जारी की गई।

5.52 इसके अलावा, 100 करोड़ रुपए और अधिक की कुल आस्तियां रखनेवाली जमा लेनेवाली सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों तथा अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियां को सूचित किया गया कि वे पूंजी बाजार में अपने एक्सपोज़र से संबंधित विवरणी महीने की समाप्ति के सात दिनों के भीतर मासिक आधार पर प्रस्तुत किया करें। संशोधित मानदंडों पर आधारित ऐसी पहली विवरणी 30 अप्रैल 2007 को समाप्त महीने के लिए प्रस्तुत की जानी चाहिए। 50 करोड़ रुपए तथा अधिक की जमाराशि रखनेवाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को सूचित किया गया कि वे 31 मार्च 2007 को समाप्त महीने तक उनके द्वारा अब तक प्रस्तुत की जानेवाली पूंजी बाजार में एक्सपोज़र संबंधी विवरणी प्रस्तुत करना जारी रखा जाए तथा उसके बाद उनसे अपेक्षित है कि वे संशोधित अनुदेशों का पालन करें ।

जमाखोरी के लिए बैंक वित्त का दुरुपयोग

5.53 इस बात पर चिंता प्रकट की गई कि कुछ कंपनियां/ संस्थाएं संभवतः गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से उधार लिए गए संसाधनों का प्रयोग करते हुए अनाजों की जमाखोरी कर रही थीं। तदनुसार, एनबीएफसी-एनडी-एसआइ (100 करोड़ रुपए तथा अधिक की आस्तियां रखनेवाली जमा न लेनेवाली सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ) को 23 फरवरी 2007 को सूचित किया गया कि वे अनाजों की खरीद के लिए बड़े उधारकर्ताओं को अपने वित्तीय एक्सपोज़र की जांच करें तथा साथ ही बड़े एक्सपोज़र वाली कंपनियों के खातों की त्वरित संवीक्षा पर भी विचार करें ताकि इस बात की पुष्टि हो जाए कि निधियों को जमाखोरी करने के लिए अनाजों की खरीद हेतु अपवर्तित नहीं किया गया।

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विज्ञापन

5.54 मई 2005 में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को सूचित किया गया कि वे प्रिंट अथवा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में (वेबसाइट सहित) जमाराशियां मांगने संबंधी अपने विज्ञापनों में इस आशय का विवरण स्पष्ट रूप से शामिल करें कि 'रिज़र्व बैंक कंपनी की वित्तीय सुदृढ़ता की वर्तमान स्थिति अथवा कंपनी द्वारा तैयार किए गए विवरणों या अभ्यावेदनों की सच्चाई या उनके द्वारा व्यक्त राय और कंपनी द्वारा जमाराशियों की चुकौती / देयता के उन्मोचन के लिए कोई जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करता अथवा गारंटी नहीं देता।' यह संभव है कि जमाराशि स्वीकार करनेवाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा उनके व्यवसाय के संवर्धन हेतु जारी विज्ञापन में जमाराशियों को आकृष्ट किया जाए। ऐसे विज्ञापनों के संदर्भ में जमाकर्ताओं के हित में तथा उक्त प्रावधान के प्रति जमाकर्ताओं का ध्यान आकृष्ट करने के लिए 4 अप्रैल 2007 को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी सार्वजनिक जमाराशि का स्वीकरण (रिज़र्व बैंक) निदेशावली,1998 में उपयुक्त प्रावधान करके गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को सूचित किया गया कि जमाराशि मांगे बिना भी टी.वी.जैसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जब कभी कोई विज्ञापन दर्शाया जाए, ऐसे विज्ञापनों में निम्नानुसार एक शीर्षक/ बैंड शामिल किया जाए कि: (i) 'जहां तक कंपनी के जमा लेनेवाले कार्य का संबंध है, निवेशक सार्वजनिक जमाराशियां मंगाने के लिए आवेदनपत्र में प्रस्तुत जानकारी/समाचार पत्र में दिए गए विज्ञापन का संदर्भ लें'; (ii) 'कंपनी के पास भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45- आईए के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी वैध पंजीकरण प्रमाणपत्र है। तथापि, रिज़र्व बैंक कंपनी की वित्तीय सुदृढ़ता के बारे में वर्तमान स्थिति अथवा कंपनी द्वारा प्रस्तुत विवरणों या अभ्यावेदनों या उसके द्वारा व्यक्त विचारों की सच्चाई तथा कंपनी द्वारा जमाराशियों की चुकौती / देयताओं के उन्मोचन के बारे में कोई जिम्मेदारी अथवा गारंटी नहीं लेता'।

ब्याज दरों की अधिकतम सीमा

5.55 अप्रैल 2007 में जारी वर्ष 2007-08 के वार्षिक नीति वक्तव्य में इस बात की घोषणा की गई थी कि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (आरएनबीसी से इतर) द्वारा जमाराशियों पर देय ब्याज दर की उच्चतम सीमा में 150 आधार अंकों की वृद्धि करके उसे 12.5 प्रतिशत वार्षिक कर दिया जाएगा। तदनुसार, 24 अप्रैल 2007 से गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा सार्वजनिक जमाराशियों पर देय ब्याज दर की अधिकतम सीमा में संशोधित करके 12.5 प्रतिशत वार्षिक कर दी गई । गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा सार्वजनिक जमाराशियों पर देय ब्याज की यह अधिकतम सीमा है ; गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां इससे कम ब्याज दर का प्रस्ताव करने के लिए स्वतंत्र हैं। ब्याज की नई दर जनता से नई जमाराशियां स्वीकार करने और परिपक्व सार्वजनिक जमाराशियों के नवीकरण पर लागू होगी। 12.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर की अधिकतम सीमा विविध गैर-बैंकिंग कंपनियों (चिट फंड कंपनियों) द्वारा जमाराशियों के स्वीकरण/नवीकरण पर भी लागू हैं।

कंपनी अभिशासन संबंधी दिशानिर्देश

5.56 कंपनी क्षेत्र में पणधारियों के हितों के संरक्षण के लिए कंपनी अभिशासन की प्रमुख भूमिका है। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां इसका अपवाद नहीं हैं क्योंकि वे भी कार्पोरेट संस्था हैं। सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने तथा परिचालनों में अधिक पारदर्शिता सनिश्चित करने में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को समर्थ बनाने के लिए 8 मई 2007 को दिशानिर्देशों का प्रस्ताव करके उन्हें 20 करोड़ रुपए और अधिक जमा आकार वाली जमा लेनेवाली सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों तथा 100 करोड़ रुपए और अधिक आस्ति आकार वाली जमा न लेनेवाली सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी-एनडी-एसआइ) के निदेशक मंडल द्वारा विचार किए जाने के लिए रखा गया। उक्त दिशानिर्देश लेखा परीक्षा के गठन, नामांकन तथा जोखिम प्रबंधन समितियों प्रकटीकरण तथा पारदर्शिता और संयुक्त उधार संबंध पर लागू है।

5.57 पिछले लेखा परीक्षित तुलनपत्र के अनुसार 50 करोड़ रुपए और अधिक आस्ति आकारवाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से पहले ही ऐसी अपेक्षा की गई है कि वे अपने निदेशक बोर्ड के कम से कम 3 सदस्यों को शामिल करते हुए लेखा परीक्षा समिति का गठन करें । 20 करोड़ रुपए के जमाराशि आकारवाली एनबीएफसी-डी भी इसी तरह की लेखा परीक्षा समिति के गठन पर विचार कर सकती है। नामांकन समिति के गठन के संबंध में, दिशानिर्देशों द्वारा यह अपेक्षित है कि वे यह अवश्य सुनिश्चित करें कि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के प्रबंधन या प्रस्तावित प्रबंधन का सामान्य चरित्र उसके वर्तमान और भविष्य के जमाकर्ताओं के हित के प्रतिकूल न हो। इस खंड की विभिन्न संस्थाओं द्वारा दिखाई गई रुचि को देखते हुए, यह वांछनीय है कि रु. 20 करोड़ अथवा अधिक के जमा आकार वाली एनबीएफसी-डी तथा एनबीएफसी-एनडी-एसआइ प्रस्तावित / मौजुदा निदेशकों की ' उपयुक्त और उचितट स्थिति सुनिश्चित करने के लिए नामांकन समिति का गठन करें। जोखिम प्रबंधन समिति के लिए दिशानिर्देशों में यह अपेक्षा की गई है कि समन्वित आधार पर जोखिम के प्रबंधन के लिए एक जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया जाए । पिछले लेखा परीक्षित तुलनपत्र की तारीख को 20 करोड़ रुपए और अधिक की सार्वजनिक जमाराशि वाली अथवा 100 करोड़ रुपए या अधिक की आस्ति आकार वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के लिए बाजार जोखिम को आस्ति देयता अंतर पर निगरानी रखने के लिए गठित आस्ति देयता प्रबंधन समिति को भेजा जाए तथा संबंधित जोखिम को कम करने के लिए कार्रवाई की जाए । दिशानिर्देशों में यह भी अपेक्षा की गई है कि निम्नलिखित जानकारी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा उसके निदेशक बोर्ड के समक्ष नियमित अंतराल पर, जैसाकि इस संबंध में निर्धारित किया गया हो, प्रस्तुत की जाए।; (i)प्रगामी जोखिम प्रबंधन प्रणाली स्थापित करने में तथा जोखिम प्रबंधन नीति और उसके लिए तैयार की गई रणनीति में की गई प्रगति; और (ii) कंपनी अभिशासन मानदंडों अर्थात् विभिन्न समितियों की संरचना, उनकी भूमिका और कार्य, बैठकों की आवधिकता एवं व्याप्ति तथा समीक्षा कार्यों के अनुपालन की समनुरूपता।

5.58 उक्त के साथ, संबद्ध उधार संबंध के बारे में अनुदेश भी जारी किये गए, जो अन्य बातों के साथ निदेशकों को ऋण सुविधाओं, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के निदेशकों या अन्य कंपनियों के निदेशकों के संबंधियों एवं उनके संबंधियों और अन्य संस्थाओं को दिये गये ऋण और अग्रिमों, ऐसे ऋणों की वसूली के लिए समय-सारणी से संबंधित हैं।

गैर बैंकिंग कंपनियों द्वारा अत्यधिक ब्याज लगाए जाने के बारे में शिकायतें

5.59 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा कुछ ऋणों और अग्रिमों पर अत्यधिक ब्याज और प्रभार लगाने संबंधी कई शिकायतों को देखते हुए 24 मई 2007 को गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनिओं को सूचित किया गया है कि वे ब्याज दरें एवं प्रसंसकरण तथा अन्य प्रभारों के निर्माण के लिए उपयुक्त आंतरिक सिद्धांत तथा प्रक्रियाएं बनाएं, भले ही ये ब्याज दरें रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित नहीं है। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को सूचित किया गया है कि वे ऋणों की शर्तों के बारे में पारदर्शिता के बारे में उचित व्यवहार संहिता संबंधी दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखें।

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (आरएनबीसी सहित) की रूपरेखा

5.60 रिज़र्व बैंक के पास पंजीकृत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, जिसमें जमा लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियां, पारस्परिक लाभवाली कंपनियां, विविध गैर बैंकिंग कंपनियां और निधि कंपनियां शामिल हैं, की कुल संख्या जून 2006 के अंत के 13,014 से कम होकर जून 2007 के अंत में 12,968 रह गयी (सारणी V.13)। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की संख्या जून 2006 के अंत के 428 से घटकर जून 2007 के अंत में 401 रह गई। गिरावट का मुख्य कारण कई गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा

सारणी V.13: रिज़र्व बैंक में पंजीकृत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की संख्या

वर्ष	पंजीकृत गैर-बैं.वि. कंपनियों की संख्या	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी-डी
1	2	3
2000	8,451	679
2001	13,815	776
2002	14,077	784
2003	13,849	710
2004	13,764	604
2005	13,261	507
2006	13,014	428
2007	12,968	401

जमाराशि लेने का कार्य बंद करना था। मार्च 2007 के अंत में अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियों की संख्या तीन पर अपरिवर्तित रही।

5.61 जमा लेनेवाली 401 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में से, 362 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने 30 सितम्बर 2007 की कट-ऑफ तारीख तक मार्च 2007 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक विवरणी फाइल की । पिछले वर्ष की तुलना में सूचना देनेवाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की संख्या में उल्लेखनीय गिरावट के बावजूद 2006-07 के दौरान उनकी आस्तियों, सार्वजनिक जमाराशियों तथा निवल स्वाधिकृत निधियों में क्रमशः रु.11,452 करोड़, रु. 2,042 करोड़ तथा रु.924 करोड़ की वृद्धि हुई (सारणी V.14)। अवशिष्ट गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा धारित सार्वजनिक जमाराशियां मार्च 2007 के अंत में सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की कुल जमाराशियों का 91.7 प्रतिशत थीं, जो पिछले वर्ष के 89.2 प्रतिशत की तुलना में थोड़ी अधिक

सारणी V.14: गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की रूपरेखा*

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	मार्च के अंत में			
	2006		2007 अ	
	गैर बैं.वि.कं.	*जिनमें से :* अवशिष्ट गैर बैं.कं.	गैर बैं.वि.कं.	*जिनमें से :* अवशिष्ट गैर बैं.कं.
1	2	3	4	5
सूचना देनेवाली कंपनियों की सं.	435	3	362 @	3
कुल आस्तियां	59,719	21,891 (36.7)	71,171	23,172 (32.6)
जनता की जमाराशियां	22,623	20,175 (89.2)	24,665	22,622 (91.7)
निवल स्वाधिकृत निधियां	7,677	1,183 (15.4)	8,601	1,366 (15.9)

अ : अनंतिम

* : गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में एनबीएफसी-डी और आरएनबीसी शामिल हैं।

@: 403 में से 362 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने वार्षिक विवरणी फाइल की।

टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के संबंधित जोड़ का प्रतिशत हैं।

चार्ट V.2: व्यापक चलनिधि (एल3) और अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल जमाराशियों में एनबीएफसी की सार्वजनिक जमाराशि का हिस्सा

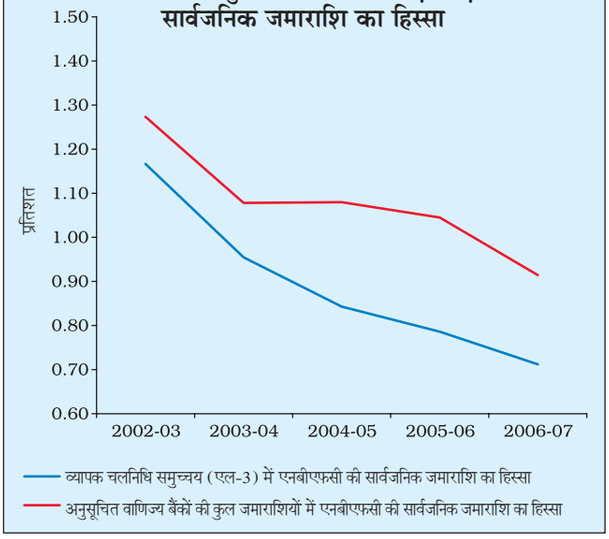

थीं। तथापि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की कुल आस्तियों में अवशिष्ट गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का हिस्सा, मार्च 2006 के अंत के 36.7 प्रतिशत से गिरकर मार्च 2007 के अंत में 32.6 प्रतिशत हो गया।

5.62 मार्च 2007 के अंत में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा रखी गई सार्वजनिक जमाराशियों में वृद्धि के बावजूद अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की समग्र जमाराशियों में सूचना देनेवाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की जमाराशियों का अनुपात, मार्च 2006 के अंत के 1.1 प्रतिशत से गिरकर मार्च 2007 के अंत में 0.95 प्रतिशत हो गया। व्यापक चलनिधि समुच्चय (एल $_3$) में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की जमाराशियों का हिस्सा भी उक्त अवधि के दौरान गिर गया (चार्ट-V.2)।

जमा स्वीकार करनेवाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (आरएनबीसी को छोड़कर) का परिचालन

5.63 2006-07 के दौरान गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (आरएनबीसी को छोड़कर) की कुल आस्तियों /देयताओं में, 2005-06 के 5.1 प्रतिशत की तुलना में, 26.9 प्रतिशत की काफी उच्च दर पर वृद्धि हुई (सारणी V.15)। वर्ष के दौरान, उधार राशियों, जो गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए निधियों का प्रमुख स्रोत है, में 30.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई,जबकि सार्वजनिक जमाराशियों में 16.5 प्रतिशत की गिरावट आई, जो संसाधन जुटाने के स्वरूप में बदलाव को सूचित करता है। आस्तियों के पक्ष में, वर्ष 2006-07 के दौरान किराया खरीद आस्तियों में तेजी से वृद्धि हुई जबकि ऋण तथा अग्रिमों, उपस्कर पट्टा आस्तियों तथा खरीद किए गए/डिस्काउंट किए गए बिलों में गिरावट आई। पूर्णतः गैर-अनुमोदित निवेशों के कारण गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के कुल निवेशों में तेज वृद्धि हुई, जबकि अनुमोदित निवेशों में वर्ष के दौरान गिरावट आई।

सारणी V.15: गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी-डी का समेकित तुलनपत्र

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	मार्च के अंत में		घट-बढ़			
			2005-06		2006-07	
	2006	2007अ	वास्तविक	प्रतिशत	वास्तविक	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
देयताएं						
1. प्रदत्त पूंजी	1,827 (4.8)	2,289 (4.8)	-379	-17.2	462	25.3
2. आरक्षित निधि और अधिशेष	5,625 (14.9)	5,969 (12.4)	1,081	23.8	344	6.1
3. जनता की जमाराशि	2,447 (6.5)	2,042 (4.3)	-1,478	37.7	-405	-16.5
4. उधार	24,942 (65.9)	32,563 (67.8)	1,897	8.2	7,621	30.6
5. अन्य देयताएं	2,987 (7.9)	5,136 (10.7)	704	30.8	2,149	72.0
कुल देयताएं/आस्तियाँ	**37,828**	**47,999**	**1,824**	**5.1**	**10,171**	**26.9**
1. निवेश	4,326 (11.4)	7,508 (15.6)	369	9.3	3,182	73.5
i) अनुमोदित प्रतिभूतियां @	292	241	-1,945	-87.0	-51	-17.3
ii) अन्य निवश	4,034	7,267	2,314	134.6	3,232	80.1
2. ऋण और अग्रिम	10,686 (28.2)	10,602 (22.1)	-2,063	-16.2	-84	-0.8
3. किराया खरीद आस्तियां	20,008 (52.9)	26,048 (54.3)	5,608	38.9	6,040	30.2
4. उपस्कर पट्टा-दायी आस्तियां	1,502 (4.0)	1,334 (2.8)	-523	-25.8	-168	-11.2
5. बिल संबंधी कारोबार	44 (0.1)	6 (0.0)	-427	-90.6	-38	-85.7
6. अन्य आस्तियां	1,261 (3.3)	2,500 (5.2)	-1,140	-47.5	1,239	98.3

अ : अनंतिम
@ : अनुसूचित वाणिज्य बैंको के एसएलआर आस्तियों में 'अधिकृत प्रतिभूतियाँ और 'भार-रहित मीयादी जमाराशियाँ' शामिल हैं।
टिप्पणी: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल देयताओं/आस्तियों के प्रतिशत के द्योतक हैं।
स्रोत : वार्षिक विवरणी

5.64 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी समूह में आस्ति वित्त कंपनियों का कुल आस्तियों/देयताओं में सबसे बड़ा हिस्सा (51.5 प्रतिशत) था तथा उसके बाद किराया खरीद कंपनियों (35.7 प्रतिशत), ऋण कंपनियों (8.7 प्रतिशत) तथा निवेश कंपनियों (3.4 प्रतिशत) का स्थान था (सारणी V.16)। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के पुनर्वर्गीकरण के पश्चात् उपस्कर पट्टादायी कंपनियों का हिस्सा गिरकर 1 प्रतिशत से नीचे चला गया। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के विभिन्न समूह के सापेक्षिक महत्व ने मोटे तौर पर उनकी उधार राशियों के पैटर्न को दर्शाया क्योंकि उनकी कुल देयताओं में जमाराशियों का हिस्सा थोड़ा (4.3 प्रतिशत) था। सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा धारित कुल जमाराशियों में किराया खरीद वित्त कंपनियों का गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की कुल जमाराशियों में सबसे बड़ा हिस्सा (81.0 प्रतिशत) था तथा उसके बाद 9.1 प्रतिशत के काफी कम हिस्से के साथ आस्ति वित्त कंपनियों का स्थान था।

जमाराशियां

विभिन्न श्रेणी की गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-डी की सार्वजनिक जमाराशियों की रूपरेखा

5.65 पिछले साल की प्रवृत्ति को जारी रखते हुए, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के सभी समूह द्वारा धारित सार्वजनिक जमाराशियों में 2006-07 के दौरान गिरावट आई (सारणी V.17)। उपस्कर पट्टादायी कंपनियों तथा निवेश कंपनियों की जमाराशियों में क्रमशः 73.5 प्रतिशत और 44.1 प्रतिशत की गिरावट आई। तथापि किराया खरीद कंपनियों की जमाराशियों के मामले में गिरावट (18.7 प्रतिशत) पर अपेक्षाकृत कम थी।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की जमाराशियों का आकार-वार वर्गीकरण

5.66 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा धारित जमाराशियां रु.0.5 करोड़ से कम से लेकर रु. 50 करोड़ से अधिक के दायरे में हैं

सारणी V.16: गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी-डी की देयता के मुख्य घटक – समूह-वार

(राशि करोड़ रुपए में)

एनबीएफसी समूह	देयताएं		जमाराशियां		उधार	
	2005-06	2006-07 अ	2005-06	2006-07 अ	2005-06	2006-07 अ
1	2	3	4	5	6	7
आस्ति वित्तपोषण @	–	24,718 (51.5)	–	186 (9.1)	–	19,091 (58.6)
उपस्कर पट्टा	3,497 (9.2)	325 (0.7)	164 (6.7)	43 (2.1)	2,309 (9.3)	128 (0.4)
किराया खरीद	28,845 (76.3)	17,156 (35.7)	2,035 (83.2)	1,654 (81.0)	19,493 (78.2)	10,478 (32.2)
निवेश	1,610 (4.3)	1,633 (3.4)	81 (3.3)	45 (2.2)	697 (2.8)	133 (0.4)
ऋण	3,876 (10.2)	4,167 (8.7)	167 (6.8)	114 (5.6)	2,442 (9.8)	2,733 (8.4)
कुल	**37,828**	**47,999**	**2,447**	**2,042**	**24,942**	**32,563**

अ : अनंतिम – : लागू नहीं

@ : गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी का नया वर्गीकरण अर्थात आस्ति वित्त कंपनी (एएफसी) दिसंबर 2006 में लागू हुआ। उत्पादनकारी/आर्थिक कार्यकालायों के लिए संपदा/भौतिक आस्तियों में वित्तपोषण करने वाली कंपनियों को एएफसी के रूप में पुन:वर्गीकृत किया गया।

टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आँकड़े कुल में प्रतिशत के द्योतक हैं।

(सारणी V.18)। 2006-07 के दौरान 'रु.20 करोड़ से अधिक तथा रु. 50 करोड़ तक' नामक जमावर्ग को छोड़कर सभी जमा समूहों में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की संख्या तथा उनके द्वारा धारित जमाराशियों में गिरावट आई। यद्यपि 'रु. 20 करोड़ और अधिक' आकार की जमाराशियों वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की संख्या 2005-06 के 13 से घटकर 2006-07 में 11 रह गई, तथापि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा धारित कुल जमाराशियों में उनका हिस्सा 78.3 प्रतिशत से बढ़कर 82.5 प्रतिशत हो गया। 20 करोड़ रुपए से कम जमा आकारवाली शेष 348 कंपनियों के पास गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी क्षेत्र की कुल सार्वजनिक जमाराशियों का लगभग 18 प्रतिशत था।

सारणी V.17: गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी -डी द्वारा धारित जनता की जमाराशियां – समूह-वार

(राशि करोड़ रुपए में)

एनबीएफसी समूह	मार्च के अंत में				प्रतिशत घट-बढ़
	गैर बैं.वि.कं. की संख्या		जनता की जमाराशियां		
	2006	2007	2006	2007 अ	2006-07
1	2	3	4	5	6
आस्ति वित्तपोषण @	–	72	–	186 (9.1)	–
उपस्कर पट्टा	37	28	164 (6.7)	43 (2.1)	-73.5
किराया खरीद	339	231	2,035 (83.2)	1,654 (81.0)	-18.7
निवेश	5	3	81 (3.3)	45 (2.2)	-44.1
ऋण	51	25	167 (6.8)	114 (5.6)	-32.0
कुल	**432**	**359**	**2,447**	**2,042**	**-16.5**

अ : अनंतिम -:लागू नहीं

@ : गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी का नया वर्गीकरण अर्थात आस्ति वित्त कंपनी (एएफसी) दिसंबर 2006 में लागू हुआ। उत्पादनकारी/आर्थिक कार्यकालायों के लिए संपदा/भौतिक आस्तियों में वित्तपोषण करने वाली कंपनियों को एएफसी के रूप में पुन:वर्गीकृत किया गया।

टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आँकड़े कुल में प्रतिशत के द्योतक हैं।

स्रोत : वार्षिक विवरणियां।

सारणी V.18: जमा स्वीकार करनेवाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा धारित जमाराशियों की सीमा

(राशि करोड़ रुपए में)

जमाराशि की सीमा	मार्च के अंत में			
	गैर बैं.वि.कं. की संख्या		जमाराशि	
	2006	2007	2006	2007 अ
1	2	3	4	5
1. 0.5 करोड़ रुपए से कम	255	218	39	30
			(1.6)	(1.5)
2. 0.5 करोड़ रुपए से अधिक और 2 करोड़ रुपए तक	107	89	100	83
			(4.1)	(4.1)
3. 2 करोड़ रुपए से अधिक और 10 करोड़ रुपए तक	42	34	182	152
			(7.4)	(7.4)
4. 10 करोड़ रुपए से अधिक और 20 करोड़ रुपए तक	15	7	211	93
			(8.6)	(4.6)
5. 20 करोड़ रुपए से अधिक और 50 करोड़ रुपए तक	3	4	102	151
			(4.2)	(7.4)
6. 50 करोड़ रुपए और उससे अधिक	10	7	1,813	1,533
			(74.1)	(75.1)
कुल (1 से 6)	**432**	**359**	**2,447**	**2,042**

अ : अनंतिम
टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आँकड़े कुल जमाराशि का प्रतिशत दर्शाते हैं।
स्रोत : वार्षिक विवरणियां।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-डी द्वारा धारित जमाराशियों की क्षेत्रवार संरचना

5.67 पिछले साल की प्रवृत्ति का अनुकरण करते हुए, सभी क्षेत्रों में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा धारित जमाराशियों में 2006-07 के दौरान गिरावट आई (सारणी V.19)। पिछले साल की तरह, दक्षिणी क्षेत्र के पास जमाराशियों का सबसे बड़ा हिस्सा (79.3 प्रतिशत) था तथा उसके बाद उत्तरी क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र का स्थान था। वर्ष के दौरान उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की संख्या गिरकर शून्य हो गई। महानगरों के बीच जमाराशियों की कुल धारित राशि के रूप में चेन्नै सर्वोच्च स्थान पर था, जबकि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की संख्या के रूप में दिल्ली का प्रथम स्थान था।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-डी के पास रखी गई सार्वजनिक जमाराशियों पर ब्याज दर

5.68 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा 10 प्रतिशत दर की ब्याज दरों पर संविदाकृत जमाराशियों का हिस्सा बढ़ गया (83.6 प्रतिशत से बढ़कर 89.5 प्रतिशत), जबकि अन्य ब्याज दरों पर संविदाकृत जमाराशियों में वर्ष के दौरान गिरावट आई (सारणी V.20)।

सार्वजनिक जमाराशियों की परिपक्वता का स्वरूप

5.69 वर्ष के दौरान 2 वर्ष तक तथा 3-5 वर्षों के बीच की परिपक्वता अवधि वाली जमाराशियों में गिरावट आई। मार्च 2007 के अंत में '2 वर्ष से अधिक तथा 3 वर्ष तक' की परिपक्वता अवधिवाली जमाराशियों में थोड़ी वृद्धि हुई जबकि '5 वर्ष और अधिक' की परिपक्वता अवधिवाली जमाराशियों में मार्च 2007 के अंत में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। फलस्वरूप, कुल जमाराशियों में उनका हिस्सा बढ़ गया (सारणी V.21)।

सारणी V.19: गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी-डी द्वारा धारित जनता की जमाराशि - क्षेत्र-वार

(राशि करोड़ रुपए में)

क्षेत्र	मार्च के अंत में			
	2006		2007 अ	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1	2	3	4	5
1. मध्य	63	34	59	27
		(1.4)		(1.3)
2. पूर्वी	12	59	8	21
		(2.4)		(1.0)
3. उत्तर-पूर्वी	1	0	0	0
		(0.0)		(0.0)
4. उत्तरी	215	333	191	288
		(13.6)		(14.1)
5. दक्षिणी	114	1,917	78	1,620
		(78.3)		(79.3)
6. पश्चिमी	27	104	23	86
		(4.2)		(4.2)
कुल (1 से 6)	**432**	**2,447**	**359**	**2,042**
ज्ञापन :				
महानगरीय क्षेत्र :				
1. मुंबई	13	94	10	78
2. चेन्नई	69	1,740	41	1,516
3. कोलकाता	9	46	6	21
4. नई दिल्ली	73	240	69	219
कुल (1 से 4)	**164**	**2,120**	**126**	**1,834**

अ : अनंतिम
टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आँकड़े कुल का प्रतिशत दर्शाते हैं।
स्रोत : वार्षिक विवरणियां।

सारणी V.20: ब्याज दर के अनुसार गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी-डी की जनता की जमाराशियों का वितरण

(राशि करोड़ रुपए में)

ब्याज दायरा	मार्च के अंत में	
	2006	2007 अ
1	2	3
10 प्रतिशत तक	2,047 (83.6)	1,828 (89.5)
10 प्रतिशत से अधिक और 12 प्रतिशत तक	318 (13.0)	195 (9.6)
12 प्रतिशत और उससे अधिक	82 (3.4)	19 (0.9)
कुल	**2,447**	**2,042**

अ : अनंतिम
टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आँकड़े कुल जमाराशि का प्रतिशत दर्शाते हैं।
स्रोत : वार्षिक विवरणियां।

5.70 सरकारी क्षेत्र के बैंकों की '1 से 3 वर्ष तक' की परिपक्वता वाली जमाराशियों पर दी जानेवाली अधिकतम ब्याज दर तथा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा उसी परिपक्वता वाली जमाराशियों पर दी जानेवाली ब्याज दर के बीच का अंतर, मार्च 2006 के अंत के 4.25 प्रतिशत अंक से गिरकर मार्च 2007 के अंत में 1.5 प्रतिशत अंक रह गया (सारणी V.22)। तथापि 24 अप्रैल 2007 से गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए ब्याज दर की अधिकतम सीमा बढ़ाकर 12.50 प्रतिशत कर दी गई जिसके चलते अंतर बढ़कर 3.00 प्रतिशत अंक हो गया।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-डी द्वारा उधार

5.71 2006-07 के दौरान गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा ली गई उधार राशियों के बकायों में 30.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई

सारणी V.21: गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी-डी द्वारा धारित सार्वजनिक जमाराशि का परिपक्वता स्वरूप

(राशि करोड़ रुपए में)

परिपक्वता अवधि @	मार्च के अंत में	
	2006	2007 अ
1	2	3
1. एक वर्ष से कम	878 (35.9)	695 (34.1)
2. एक वर्ष से अधिक और 2 वर्ष तक	648 (26.5)	473 (23.2)
3. 2 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	559 (22.8)	560 (27.4)
4. 3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक	360 (14.7)	234 (11.4)
5. 5 वर्ष और उससे अधिक	3 (0.1)	80 (3.9)
कुल	**2,447**	**2,042**

अ : अनंतिम
@ : बकाया जमाराशियों की अवशिष्ट परिपक्वता अवधि पर आधारित।
टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आँकड़े कुल का प्रतिशत दर्शाते हैं।
स्रोत : वार्षिक विवरणियां।

सारणी 22: बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की जमाराशियों पर ब्याज दर में अंतर

(प्रतिशत)

मद	मार्च के अंत में					
	2002	2003	2004	2005	2006	2007
1	2	3	4	5	6	7
1. सरकारी क्षेत्र के बैंक की 1-3 वर्ष की परिपक्वता वाली जमाराशि पर अधिकतम ब्याज दर	8.50	6.75	6.75	6.50	6.75	9.50
2. गैर बैं.वि.कं.की ब्याज दर सीमा	12.50	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00
3. अंतर (स्प्रेड) (2-1)	4.00	4.25	4.25	4.50	4.25	1.50

(सारणी V.23)। उपस्कर पट्टादायी और किराया खरीद कंपनियों तथा निवेश कंपनियों द्वारा उधार ली गई राशियों में गिरावट आई, जो अंशतः गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के पुनर्वर्गीकरण को दर्शाता है, जबकि ऋण कंपनियों की उधार राशियों में वर्ष के दौरान वृद्धि हुई। सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की उधार राशियों का सबसे बड़ा हिस्सा आस्ति वित्त कंपनियों के पास था तथा उसके बाद किराया खरीद कंपनियों का स्थान था।

5.72 2006-07 के दौरान गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा बाह्य स्रोतों से तथा बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से ली गई उधार राशियों में क्रमशः 95.9 प्रतिशत तथा 52.6 प्रतिशत की तेज वृद्धि हुई (सारणी V.24)। वर्ष के दौरान अन्य स्रोतों से ली गई उधार राशियों में 39.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई। तथापि सरकार से ली गई उधार

सारणी V.23: गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी-डी की उधारी-समूह-वार

(एनबीएफसी समूह)

एनबीएफसी समूह	मार्च के अंत में				प्रतिशत अंतर
	गै.बैं.वि.कं. की संख्या		कुल उधारी		
	2006	2007 अ	2006	2007 अ	2006-07
1	2	3	4	5	6
आस्ति वित्त @	–	72	–	19,091 (58.6)	–
उपस्कर पट्टा	37	28	2,309 (9.3)	128 (0.4)	-94.4
किराया खरीद	339	231	19,493 (78.2)	10,478 (32.2)	-46.2
निवेश कंपनियां	5	3	697 (2.8)	133 (0.4)	-80.9
ऋण कंपनियां	51	25	2,442 (9.8)	2,732 (8.4)	11.9
कुल	**432**	**359**	**24,942**	**32,563**	**30.6**

अ : अनंतिम -: लागू नहीं
@ : गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी का नया वर्गीकरण अर्थात आस्ति वित्त कंपनी (एएफसी) दिसंबर 2006 में लागू हुआ। उत्पादनकारी/आर्थिक कार्यकालायों के लिए संपदा/भौतिक आस्तियों में वित्तपोषण करने वाली कंपनियों को एएफसी के रूप में पुनःवर्गीकृत किया गया।
टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आँकड़े कुल उधारी में प्रतिशत के द्योतक हैं।
स्रोत : वार्षिक विवरणियां।

सारणी V.24: गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी-डी के उधारी के स्रोत – समूह-वार

(राशि करोड़ रुपए में)

एनबीएफसी समूह	मार्च के अंत में											
	सरकारी		बाह्य स्रोत #		बैंक और वित्तीय संस्थाएँ		डिबेंचर		अन्य		कुल	
	2006	2007 अ	2006	2007 अ	2006	2007 अ	2006	2007 अ	2006	2007 अ	2006	2007 अ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
आस्ति वित्त @	..	..	..	975	..	9,148	..	5,808	..	3,159	..	19,091
उपस्कर पट्टा	–	–	284	–	1,404	39	338	–	283	89	2,309	128
						(-97.2)				(-68.6)		(-94.4)
किराया खरीद	–	–	329	225	7,113	4,203	7,165	1,847	4,886	4,203	19,493	10,478
				(-31.4)		(-40.9)		(-74.2)		(-14.0)		(-46.2)
निवेश	533	–	–	–	–	–	9	7	155	126	697	133
						(84.0)		(-22.1)		(-18.7)		(-80.2)
ऋण	110	25	–	–	1,263	1,531	930	1,115	141	61	2,442	2,732
		(-77.0)		–		(21.3)		(20.0)		(-56.9)		(-11.9)
कुल	**643**	**25**	**613**	**1,201**	**9,779**	**14,923**	**8,442**	**8,777**	**5,465**	**7,637**	**24,942**	**32,563**
		(-96.1)		**(95.9)**		**(52.6)**		**(4.0)**		**(39.8)**		**(30.6)**

अ : अनंतिम .. : उपलब्ध नहीं। – : लागू नहीं / नगण्य

@ : इसमें (i) विदेशी सरकार (ii) विदेशी प्राधिकरण और (iii) विदेशी नागरिक या व्यक्ति शामिल है।

: गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी का नया वर्गीकरण अर्थात आस्ति वित्त कंपनी (एएफसी) 2006 में लागू हुआ। उत्पादनकारी/आर्थिक कार्यकालायों के लिए संपदा/भौतिक आस्तियों में वित्तपोषण करने वाली कंपनियों को एएफसी के रूप में पुन:वर्गीकृत किया गया।

टिप्पणी: कोष्ठक में दिए गए आँकड़े पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत में घट-बढ़ के द्योतक हैं।

स्रोत : वार्षिक विवरणियां।

राशियों में 2006-07 के दौरान तीव्र गिरावट आई। सरकार से ली गई उधार राशियों का संबंध दक्षिण क्षेत्र में कार्यरत राज्य द्वारा स्वाधिकृत एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी से है।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-डी की आस्तियां

5.73 उपस्कर पट्टादायी तथा किराया खरीद कंपनियों की आस्तियों में आई गिरावट गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के पुनर्वर्गीकरण को प्रतिबिंबित करती है। वर्ष के दौरान ऋण और अग्रिम तथा निवेश में वृद्धि हुई। उपस्कर पट्टादायी तथा किराया खरीद कंपनियों के कुल अग्रिमों और निवेशों में आई तेज गिरावट गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के पुनर्वर्गीकरण को प्रतिबिंबित करता है (सारणी V.25)। मार्च 2007 के अंत में सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा दिए गए कुल ऋण और अग्रिमों का 55 प्रतिशत तथा निवेशों का 32 .1 प्रतिशत आस्ति वित्त कंपनियों द्वारा धारित किया गया था।

सारणी V.25: गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी-डी की आस्तियों के मुख्य घटक - समूह-वार

(राशि करोड़ रुपए में)

एनबीएफसी समूह	मार्च के अंत में					
	आस्तियां		अग्रिम		निवेश	
	2006	2007 अ	2006	2007 अ	2006	2007 अ
1	2	3	4	5	6	7
आस्ति वित्त @	–	24,718	–	20,882	–	2,413
		(51.5)		(55.0)		(32.1)
उपस्कर पट्टा	3,497	325	3,150	252	366	56
	(9.2)	(0.7)	(9.8)	(0.7)	(8.5)	(0.7)
किराया खरीद	28,845	17,156	25,479	14,572	2,068	1,722
	(76.3)	(35.7)	(79.0)	(38.4)	(47.8)	(22.9)
निवेश	1,610	1,633	620	498	968	1,110
	(4.3)	(3.4)	(1.9)	(1.3)	(22.4)	(14.8)
ऋण	3,876	4,167	2,992	1,787	924	2,207
	(10.2)	(8.7)	(9.3)	(4.7)	(21.4)	(29.4)
कुल	**37,828**	**47,999**	**32,241**	**37,991**	**4,326**	**7,508**

अ : अनंतिम – : लागू नहीं

@ : गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी का नया वर्गीकरण अर्थात आस्ति वित्त कंपनी (एएफसी) दिसंबर 2006 में लागू हुआ। उत्पादनकारी/आर्थिक कार्यकालायों के लिए संपदा/भौतिक आस्तियों में वित्तपोषण करने वाली कंपनियों को एएफसी के रूप में पुन:वर्गीकृत किया गया।

टिप्पणी: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल में प्रतिशत के द्योतक हैं।

स्रोत : वार्षिक विवरणियां।

सारणी V.26: गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी-डी – आस्ति आकार के अनुसार

(राशि करोड़ रुपए में)

आस्ति आकार	मार्च के अंत में			
	सूचना देने वाली कंपनियों की सं.		आस्तियां	
	2006	2007 अ	2006	2007 अ
1	2	3	4	5
1. 0.25 करोड़ रुपए से कम	10	8	1 (0.0)	1 (0.0)
2. 0.25 करोड़ रुपए से अधिक और 0.50 करोड़ रुपए तक	35	28 (0.0)	13 (0.0)	11
3. 0.50 करोड़ रुपए से अधिक और 2 करोड़ रुपए तक	187	155	215 (0.6)	176 (0.4)
4. 2 करोड़ रुपए से अधिक और 10 करोड़ रुपए तक	119	97	551 (1.5)	418 (0.9)
5. 10 करोड़ रुपए से अधिक और 50 करोड़ रुपए तक	48	43	1,127 (3.0)	1,024 (2.1)
6. 50 करोड़ रुपए से अधिक और 100 करोड़ रुपए तक	7	5	473 (1.3)	339 (0.7)
7. 100 करोड़ रुपए से अधिक और 500 करोड़ रुपए तक	12	8	2,362 (6.2)	1,598 (3.3)
8. 500 करोड़ रुपए से अधिक	14	15	33,085 (87.5)	44,433 (92.6)
कुल (1 से 8)	**432**	**359**	**37,828**	**47,999**

अ : अनंतिम
टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आँकड़े संबंधित कुल का प्रतिशत दर्शाते हैं।
स्रोत : वार्षिक विवरणियां।

आस्तियों के आकार के अनुसार गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-डी का वितरण

5.74 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की आस्तियो के आकार में भारी अंतर होता है और यह राशि 25 लाख रुपसे से कम से लेकर 500 करोड़ रुपए से अधिक के दायरे में होती है। सूचना देनेवाली कंपनियों की संख्या में आई कमी (मार्च 2006 के अंत में 432 से मार्च 2007 के अंत में 359) का कारण सभी आस्तियों के दायरों में आने वाली कंपनियों की संख्या में, '500 करोड़ रुपए से अधिक श्रेणी की कंपनियों' को छोड़कर, कमी आना था। आस्ति धारिता के स्वरूप में काफी असमानताएं थीं। मार्च 2007 के अंत में सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की आस्तियों का 92.6 प्रतिशत हिस्सा '500 करोड़ रुपए से अधिक' आस्ति आकार वाली 15 कंपनियों के पास था जबकि 344 एनबीएफसी के पास कुल आस्तियों का 7.4 प्रतिशत हिस्सा ही था (सारणी V.26)।

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी-डी की आस्तियों का वितरण - कार्यकलापों के प्रकार

5.75 वर्ष 2006-07 के दौरान निवेश, उपस्कर तथा पट्टा तथा अन्य आस्तियों के रूप में धारित आस्तियों में भारी वृद्धि हुई जबकि किराया खरीद के रूप में धारित आस्तियों में वृद्धि की दर कम रही। वर्ष के दौरान ऋण तथा बिल के रूप में धारित आस्तियों में कमी का रूख जारी रहा। एनबीएफसी की कुल आस्तियों में से किराया खरीद कार्यकलापों में धारित आस्तियों का हिस्सा सबसे अधिक (54.3 प्रतिशत) था, इसके बाद ऋण तथा अंतर कार्पोरेट जमाराशि (22.1 प्रतिशत), निवेश (15.6 प्रतिशत) तथा उपस्कर पट्टा (1.5 प्रतिशत) का हिस्सा था (सारणी V.27)।

सारणी V.27: गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी-डी की आस्तियों का कार्यकलाप-वार वर्गीकरण

(राशि करोड़ रुपए में)

कार्यकलाप	मार्च के अंत में		प्रतिशत घट-बढ़	
	2006	2007 अ	2005-06	2006-07 अ
1	2	3	4	5
1. ऋण और अंतर - कंपनी जमा	10,686 (28.2)	10,602 (22.1)	-27.8	-0.8
2. निवेश	4,326 (11.4)	7,508 (15.6)	-9.3	73.5
3. किराया खरीद	20,008 (52.9)	26,048 (54.3)	38.1	30.2
4. उपस्कर और पट्टा	617 (1.6)	726 (1.5)	-21.3	17.7
5. बिल	44 (0.1)	6 (0.0)	-90.5	-85.7
6. अन्य आस्तियाँ	2,146 (5.7)	3,108 (6.5)	-39.1	44.8
कुल (1 से 6)	**37,828**	**47,999**	**-1.2**	**26.9**

अ : अनंतिम
टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आँकड़े कुल का प्रतिशत दर्शाते हैं।
स्रोत : वार्षिक विवरणियां।

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी-डी का वित्तीय कार्य-निष्पादन

5.76 वर्ष 2006-07 के दौरान गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के वित्तीय कार्य कार्य-निष्पादन में भारी सुधार हुआ। यह सुधार पूर्णतया निधि आधारित आय (26.6 प्रतिशत) में भारी वृद्धि के चलते हुआ जिसने परिचालन व्यय (33.1 प्रतिशत) तथा वित्तीय व्यय (30.00 प्रतिशत) में हुई भारी वृद्धि के असर को कम किया। इसके परिणामस्वरूप, परिचालन लाभ में 12.7 प्रतिशत तथा निवल लाभ में 1.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई। आय की तुलना में लागत के अनुपात में सामान्य वृद्धि हुई (2005-06 के 81.6 प्रतिशत से 2006-07 में 83.5 प्रतिशत) (सारणी V.28)।

5.77 आस्तियों के प्रतिशत के रूप में आय में थोड़ी कमी आई जबकि आस्तियों के प्रतिशत के रूप में व्यय (प्रावधान सहित) में थोड़ी वृद्धि हुई, जिसके चलते आस्ति की तुलना में निवल लाभ के अनुपात में कमी आई। 2005-06 में आस्ति की तुलना में निवल

सारणी V.28: गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी-डी का वित्तीय कार्य-निष्पादन

(राशि करोड़ रुपए में)

संकेतक	मार्च के अंत में		प्रतिशत घट-बढ़	
	2006	2007 P	2005-06	2006-07
1	2	3	4	5
क. आय (i+ii)	**4,599**	**5,770**	**-0.1**	**25.4**
(i) निधि आधारित	4,453	5,635	5.3	26.6
	(96.8)	(97.7)		
(ii) शुल्क आधारित	147	134	-61.2	-8.3
	(3.2)	(2.3)		
ख. व्यय (i+ii+iii)	**3,753**	**4,816**	**13.0**	**28.3**
(i) वित्तीय	2,144	2,787	0.3	30.0
	(57.1)	(57.9)		
जिसमें से :				
ब्याज भुगतान	541	540	–	-0.2
(ii) परिचालन	945	1,257	31.6	33.1
	(25.2)	(26.1)		
(iii) अन्य	664	772		16.2
	(17.7)	(16.0)		
ग. कर प्रावधान	**291**	**388**	**-17.6**	**33.3**
घ. परिचालन लाभ (करपूर्व लाभ)	**847**	**954**	**-52.1**	**12.7**
ङ निवल लाभ (करोत्तर लाभ)	**556**	**566**	**-73.4**	**1.8**
च. कुल आस्तियाँ	**37,828**	**47,999**	**-1.2**	**26.9**
छ. वित्तीय अनुपात*				
i) आय	12.2	12.0		
ii) निधि आय	11.8	11.7		
iii) शुल्क आय	0.4	0.3		
iv) व्यय	9.9	10.0		
v) वित्तीय व्यय	5.7	5.8		
vi) परिचालन व्यय	2.5	2.6		
vii) कर प्रावधान	0.8	0.8		
viii) निवल लाभ	1.5	1.2		
ज. आय की तुलन में लागत का अनुपात	**81.6**	**83.5**		

* : कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में।
अ : अनंतिम
टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आँकड़े संबंधित कुल का प्रतिशत दर्शाते हैं।
स्रोत : वार्षिक विवरणियां।

चार्ट V.3: गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का वित्तीय कार्य-निष्पादन

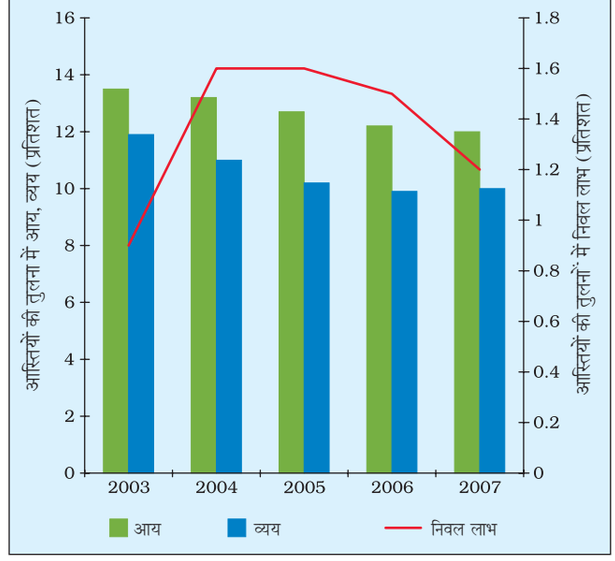

लाभ के अनुपात में वृद्धि और हाल के वर्षों में इसमें आई कमी की प्रवृत्ति के बाद 2006-07 में पुन: इसमें बदलाव आया (चार्ट V.3)।

मजबूती के संकेतक

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी-डी की आस्ति गुणवत्ता

5.78 पिछले कुछ वर्षों की तरह मार्च 2007 को समाप्त वर्ष के दौरान सूचना देने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की सकल अनर्जक आस्तियों (सकल अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में) तथा निवल अनर्जक आस्तियों में (निवल अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में) और कमी दर्ज की गई (सारणी V.29)।

5.79 वर्ष 2006-07 के दौरान उपस्कर पट्टा और निवेश कंपनियों की सकल अनर्जक आस्तियों में (सकल अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में) वृद्धि हुई जबकि ऋण कंपनियों और किराया खरीद कंपनियों की

सारणी V.29: गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी-डी की अनर्जक आस्तियां

(प्रतिशत)

मार्च के अंत में	सकल अग्रिमों की तुलना में सकल अनर्जक आस्तियां	निवल अग्रिमों की तुलना में निवल अनर्जक आस्तियां
1	2	3
2001	11.5	5.6
2002	10.6	3.9
2003	8.8	2.7
2004	8.2	2.4
2005	5.7	2.5
2006	3.6	0.5
2007 अ	1.9	0.4

अ : अनंतिम
स्रोत : छमाही विवरणियां।

सारणी V.30: गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी-डी की अनर्जक आस्तियाँ - समूह-वार

(राशि करोड़ रुपए में)

वर्गिकरण - मार्च के अंत में	सकल अग्रिम	सकल अनर्जक आस्तियाँ			निवल अग्रिम	निवल अनर्जक आस्तियाँ		
		राशि	सकल अग्रिम के प्रतिशत में	जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत में		राशि	सकल अग्रिम के प्रतिशत में	जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत में
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आस्ति वित्त @								
2007 अ	11,799	258	2.2	2.1	11,525	-15	-0.1	-0.1
उपस्कर पट्टा								
2005	4,187	514	12.3	11.0	4,018	345	8.6	7.4
2006	2,878	69	2.4	2.2	2,786	-23	-0.8	-0.7
2007 अ	1,035	41	4.0	3.7	973	-21	-2.1	-1.9
किराया खरीद								
2005	15,900	610	3.8	3.6	15,544	253	1.6	1.5
2006	17,607	444	2.5	2.4	17,238	74	0.4	0.4
2007 अ	18,079	321	1.8	1.6	17,842	83	0.5	0.4
निवेश								
2005	58	10	18.0	1.8	58	10	18.0	1.8
2006	59	0	0.4	0.0	59	0	0.4	0.0
2007 अ	31	1	2.8	0.1	31	1	2.8	0.1
ऋण								
2005	1,955	117	6.0	5.1	1,772	-65	-3.7	-2.8
2006	690	252	36.5	19.3	483	45	9.3	3.4
2007 अ	7,551	94	1.2	4.6	7,548	91	1.2	4.4

अ : अनंतिम

@ : गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी का नया वर्गीकरण अर्थात आस्ति वित्त कंपनी (एएफसी) दिसंबर 2006 में लागू हुआ। उत्पादनकारी/आर्थिक कार्यकालायों के लिए संपदा/भौतिक आस्तियों में वित्तपोषण करने वाली कंपनियों को एएफसी के रूप में पुन:वर्गीकृत किया गया।

स्रोत : रिपोर्ट करनेवाली गै.बं.वि. कंपनियों की छमाही विवरणियां।

अनर्जक आस्तियों में कमी आई। उपस्कर पट्टा और ऋण कंपनियों के मामलों में निवल अनर्जक आस्तियों (निवल अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में) में भी कमी दर्ज की गई (सारणी V.30)।

5.80 जैसा कि अनर्जक आस्तियों की विभिन्न श्रेणियों (अवमानक, संदिग्ध और हानि) से ज्ञात होता है, ऋण कंपनियों को छोड़कर जिनकी अनर्जक आस्तियों में सभी श्रेणियों में उल्लेखनीय कमी हुई, विभिन्न प्रकार की गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की आस्ति गुणवत्ता मोटे तौर पर पिछले वर्ष के स्तर पर बनी रही (सारणी V.31)।

पूंजी पर्याप्तता अनुपात

5.81 जाखिम भारित आस्ति की तुलना में पूंजी अनुपात (सीआरएआर) संबंधी मानदंड गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए 1998 से लागू किए गए जिसके अनुसार जमाराशि स्वीकार करने वाली प्रत्येक एनबीएफसी को सकल जोखिम भारित आस्तियों और तुलन पत्र से इतर मदों के जोखिम समायोजित मूल्य की 12 प्रतिशत (जमाराशि लेने वाली रेटिंग न की गई ऋण/निवेश कंपनियों के मामलों में 15 प्रतिशत) से अन्यून राशि न्यूनतम पूंजी टियर I तथा टियर II के रूप में रखना आवश्यक है। टियर II पूंजी की कुल राशि किसी भी समय टियर I पूंजी की राशि के 100 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। 12 प्रतिशत के न्यूनतम विनियामक सीआरएआर से कम पूंजी अनुपात वाली एनबीएफसी की संख्या जो मार्च 2006 के अंत में 37 थी, घटकर मार्च 2007 के अंत में 13 हो गई (सारणी V.32)। मार्च 2006 के अंत में 401 में से 364 एनबीएफसी का और मार्च 2007 के अंत में 332 में से 319 एनबीएफसी का सीआरएआर 12 प्रतिशत अथवा उससे अधिक था। 30 से अधिक सीआरएआर वाली एनबीएफसी की संख्या भी जो मार्च 2006 के अंत में 304 थी, घटकर मार्च 2007 के अंत में 275 रह गई।

5.82 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की निवल स्वाधिकृत निधि (एनओएफ) उनकी चुकता पूंजी तथा मुक्त रिज़र्व की कुल राशि होती है, जिसमें से निम्नलिखित राशि घटाई जाती है - (i) संचित हानि की राशि; तथा (ii) (क)अनुषंगी कंपनियों, (ख) उसी समूह की कंपनियों तथा (ग) अन्य एनबीएफसी (स्वाधिकृत निधि के 10 प्रतिशत से अधिक) के शेयरों में निवेश तथा उन्हें दिए गए ऋण और अग्रिमों के समायोजन के बाद उपलब्ध आस्थगित राजस्व व्यय और अन्य अमूर्त आस्तियां, यदि काई हों। निवल स्वाधिकृत निधि से संबंधित सूचना सीआरएआर संबंधी सूचना की पूरक होती है। उपस्कर पट्टा कंपनियों के मामले में निवल स्वाधिकृत निधि (एनओएफ) की तुलना में जनता

सारणी V.31: गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी-डी का वर्गीकरण-समूह-वार

(राशि करोड़ रुपए में)

गै.बै.वि.कं. समूह मार्च के अंत में	मानक आस्तियां		अवमानक आस्तियां		संदिग्ध आस्तियां		हानि आस्तियां		सकल अनर्जक आस्तियां		सकल अग्रिम
	सकल अग्रिमों की तुलना में		सकल अग्रिमों की तुलना में		सकल अग्रिमों की तुलना में		सकल अग्रिमों की तुलना में		सकल अग्रिमों की तुलना में		
	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
आस्ति वित्त @											
2007 P	11,540	97.8	241	2.0	15	0.1	2	0.0	258	2.2	11,799
उपस्कर पट्टा											
2005	3,673	87.7	383	9.1	91	2.2	39	0.9	514	12.3	4,187
2006	2,809	97.6	12	0.4	21	0.7	36	1.2	69	2.4	2.878
2007 अ	994	96.0	4	0.4	2	0.2	35	3.4	41	4.0	1.035
किराया खरीद											
2005	15,290	96.2	386	2.4	130	0.8	94	0.6	610	3.8	15,900
2006	28,170	97.5	184	0.6	47	0.3	212	0.8	444	1.6	17.607
2007 अ	17,759	98.4	185	1.0	51	0.3	85	0.5	321	1.8	18.079
निवेश											
2005	48	82.8	1	1.7	10	17.2	0	0.0	10	17.2	58
2006	59	99.6	0	0.0	0	0.2	0	0.2	0	0.4	59
2007 अ	31	97.2	1	2.8	0	0.0	0	0.0	1	2.8	31
ऋण											
2005	1,837	94.0	14	0.7	42	2.1	61	3.1	117	6.0	1,955
2006	438	63.5	19	2.7	99	14.3	134	19.4	252	36.5	690
2007 अ	6,913	98.7	9	0.1	78	1.1	8	0.1	94	1.3	7.551

अ : अनंतिम

@ : गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी का नया वर्गीकरण अर्थात आस्ति वित्त कंपनी (एएफसी) दिसंबर 2006 में लागू हुआ। उत्पादनकारी/आर्थिक कार्यकालायों के लिए संपदा/भौतिक आस्तियों में वित्तपोषण करने वाली कंपनियों को एएफसी के रूप में पुन:वर्गीकृत किया गया।

स्रोत : रिपोर्टिंग करनेवाली गै.बं.वि. कंपनियों की छमाही विवरणियां।

की जमाराशि के अनुपात में मार्च 2007 को समाप्त हुए वर्ष में काफी कमी आई जबकि अन्य श्रेणी की कंपनियों के मामले में यह अनुपात लगभग पिछले वर्ष के स्तर के आसपास रहा। उपस्कर पट्टा कंपनियों के संबंध में ऋणात्मक निवल स्वाधिकृत निधि के कारण यह अनुपात ऋणात्मक रहा। मार्च 2007 के अंत में सभी एनबीएफसी का निवल स्वाधिकृत निधि की तुलना में जनता की जमाराशि का अनुपात 0.3

सारणी V.32 : गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी-डी का पूंजी पर्याप्तता अनुपात

(प्रतिशत)

सीआरएआरसी विस्तार सीमा	मार्च के अंत में								
	2006				2007 अ				
	उ.प.	कि.ख.	ऋण कं./नि.क.	कुल	आ.वि.कं.	उ.प.	कि.ख.	ऋण कं./नि.क.	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1) 12 प्रतिशत से कम (क+ख)	8	23	6	37	0	3	10	0	13
क. 9 प्रतिशत से कम	8	23	6	37	0	3	10	0	13
ख. 9 प्रतिशत से अधिक तथा 12 प्रतिशत तक	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2) 12 प्रतिशत से अधिक तथा 15 प्रतिशत तक	0	3	0	3	2	0	2	0	4
3) 15 प्रतिशत से अधिक तथा 20 प्रतिशत तक	0	11	0	11	2	1	7	1	11
4) 20 प्रतिशत से अधिक तथा 30 प्रतिशत तक	5	36	5	46	1	2	21	5	29
5) 30 प्रतिशत और उससे अधिक	24	257	23	304	36	19	200	20	275
जोड़	**37**	**330**	**34**	**401**	**41**	**25**	**240**	**26**	**332**

अ : अनंतिम

टिप्पणी : आ.वि.कं. : आस्ति वित्त कंपनी; उ.प. - उपस्कर पट्टा; कि.ख. - किराया खरीद; ऋण कं./नि.क. - ऋण कंपनी / निवेश कंपनी

स्रोत : छमाही विवरणियां।

सारणी V.33 : गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी-डी की जनता की जमाराशियों की तुलना में निवल स्वाधिकृत निधि – समूह-वार

(राशि करोड़ रुपए में)

गै.बैं.कं.वि. समूह	निवल स्वाधिकृत निधियां		जनता की जमाराशियां		निवल स्वाधिकृत निधि की तुलना में जनता की जमाराशियों का अनुपात	
	2005-06	2006-07 अ	2005-06	2006-07 अ	2005-06	2006-07 अ
1	2	3	4	5	6	7
1. आस्ति वित्त @	–	2,673	–	186	–	0.1
2. उपस्कर पट्टा	542	-15	164	43	0.3	-2.9
3. किराया खरीद	4,106	3,159	2,035	1,654	0.5	0.5
4. निवेश	766	822	81	45	0.1	0.1
5. ऋण	1,080	596	167	114	0.2	0.2
जोड़ (1से 5)	**6,494**	**7,235**	**2,447**	**2,042**	**0.4**	**0.3**

अ : अनंतिम – : लागू नहीं

@ : गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी का नया वर्गीकरण अर्थात आस्ति वित्त कंपनी (एएफसी) दिसंबर 2006 में लागू हुआ। उत्पादनकारी/आर्थिक कार्यकालायों के लिए संपदा/भौतिक आस्तियों में वित्तपोषण करने वाली कंपनियों को एएफसी के रूप में पुन:वर्गीकृत किया गया।

स्रोत : वार्षिक विवरणियां

प्रतिशत था जबकि मार्च 2006 के अंत में यह अनुपात 0.4 प्रतिशत था (सारणी V.33)।

5.83 एनबीएफसी की निवल स्वाधिकृत निधि का दायरा 25 लाख रुपए से कम से लेकर 500 करोड़ रुपए से अधिक तक है। '50 करोड़ रुपए से अधिक तथा 100 करोड़ रुपए तक' की निवल स्वाधिकृत निधि श्रेणी की एनबीएफसी द्वारा धारित जनता की जमाराशि में एनओएफ के गुणक के रूप में वृद्धि दर्ज की गई, जबकि निवल स्वाधिकृत निधि के अन्य दायरे की एनबीएफसी द्वारा धारित जमाराशि में सामान्यतः कमी आई। (सारणी V.34)।

अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियां (आरएनबीसी)

5.84 मार्च 2007 को समाप्त वर्ष के दौरान तीन आरएनबीसी की आस्तियों में 5.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई। भार-रहित अनुमोदित

सारणी V.34 : गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी-डी की जनता की जमाराशियों की तुलना में निवल स्वाधिकृत निधि का दायरा

(राशि करोड़ रुपए में)

निवल स्वाधिकृत निधि का दायरा	मार्च के अंत में					
	2006			2007 P		
	कंपनियों की संख्या	निवल स्वाधिकृत निधि	जनता की जमा राशियां	कंपनियों की संख्या	निवल स्वाधिकृत निधि	जनता की जमा राशियां
1	2	3	4	5	6	7
1. 0.25 करोड़ रुपए तक	26	-387	113	17	-279	146
		-(0.3)			-(0.5)	
2. 0.25 करोड़ रुपए से अधिक और 2 करोड़ रुपए तक	295	208	140	243	171	96
		(0.7)			(0.6)	
3.2 करोड़ रुपए से अधिक और 10 करोड़ रुपए तक	73	316	180	62	284	129
		(0.6)			(0.5)	
4. 10 करोड़ रुपए से अधिक और 50 करोड़ रुपए तक	21	486	417	21	473	268
		(0.9)			(0.6)	
5. 50 करोड़ रुपए से अधिक और 100 करोड़ रुपए तक	3	224	5	2	125	45
		(0.0)			(0.4)	
6. 100 करोड़ रुपए से अधिक और 500 करोड़ रुपए तक	9	2,095	877	8	1,729	686
		(0.4)			(0.4)	
7. 500 करोड़ रुपए से अधिक	5	3,552	716	6	4,733	671
		(0.2)			(0.1)	
जोड़	**432**	**6,494**	**2447**	**359**	**7,235**	**2,042**
		(0.4)			**(0.3)**	

अ : अनंतिम

टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े जनता की जमाराशियां हैं जो निवल स्वाधिकृत निधि के गुणज के रूप में हैं।

स्रोत : वार्षिक विवरणियां

सारणी V.35: अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों की रूपरेखा (प्रोफाइल)

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	मार्च के अंत में		घट-बढ़ प्रतिशत में	
	2006	2007 अ	2005-06	2006-07
1	2	3	4	5
क. आस्तियां (i से v)	**21,891**	**23,172**	**14.9**	**5.9**
(i) भार-रहित अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश	2,346	3,317	15.2	41.4
(ii) अनुसूचित वाणिज्य बैंकों/सरकारी वित्तीय संस्थाओं की मियादी जमाराशि/ जमा प्रमाणपत्र में निवेश	6,090	5,604	24.9	-8.0
(iii) सरकारी कंपनी/सरकारी क्षेत्र बैंक/सरकारी वित्त संस्था/निगम के बांड / डिबेंचर / वाणिज्यिक पत्र	9,577	11,700	3.8	22.2
(iv) अन्य निवेश	1,658	1,156	1.2	-30.3
(v) अन्य आस्तियाँ	2,220	1,395	72.7	-37.2
ख. निवल स्वाधिकृत निधि	**1,183**	**1,366**	**11.1**	**15.5**
ग. कुल आय (i + ii)	**1,620**	**1,893**	**5.7**	**16.9**
(i) निधि आय	1,616	1,886	5.6	16.7
(ii) शुल्क आय	3	8	50.0	166.7
घ. कुल व्यय (i + ii+iii)	**1,439**	**1,648**	**3.1**	**14.5**
(i) वित्तीय लागत	1,165	1,230	-0.9	5.5
(ii) परिचालन लागत	159	284	8.9	78.6
(iii) अन्य लागत	114	134	55.4	17.5
ङ. कराधान	**22**	**44**	**-54.2**	**100.0**
च. परिचालन लाभ (कर पूर्व लाभ)	**180**	**246**	**32.4**	**36.7**
छ. निवल लाभ (कर के बाद लाभ)	**158**	**201**	**79.5**	**27.1**

अ : अनंतिम
स्रोत : वार्षिक विवरणियां

प्रतिभूतियों तथा बांडों/डिबेंचरों के रूप में स्थित उनकी आस्तियों में तेज वृद्धि हुई जबकि अनुसूचित वाणिज्य बैंकों में मीयादी जमाराशि/जमा प्रमाणपत्र तथा अन्य लिखतों में किए गए निवेश के रूप में स्थित आस्तियों में कमी आई। वर्ष 2006-07 के दौरान आरएनबीसी की निवल स्वाधिकृत निधि में 15.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई (सारणी V.35)।

5.85 वर्ष 2006-07 के दौरान आरएनबीसी की आय में हुई वृद्धि व्यय में हुई वृद्धि से अधिक थी जिसके चलते आरएनबीसी के परिचालन लाभ में बढ़ोत्तरी हुई। कर के लिए प्रावधान की राशि में भी तेज वृद्धि हुई। इसके परिणामस्वरूप, आरएनबीसी की निवल आय में 2005-06 के दौरान केवल 79.5 प्रतिशत की तुलना में 2006-07 में केवल 27.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों (आरएनबीसी) की जमाराशियों का क्षेत्रीय स्वरूप (पैटर्न)

5.86 तीन आरएनबीसी में से दो पूर्वी क्षेत्र (कोलकाता) में और एक केंद्रीय क्षेत्र में स्थित है। पूर्वी क्षेत्र की आरएनबीसी द्वारा धारित जनता की जमाराशियों में थोड़ी कमी आई जबकि केंद्रीय क्षेत्र की आरएनबीसी द्वारा धारित जनता की जमाराशियों में सामान्य वृद्धि हुई। चार महानगरों में से केवल एक महानगर अर्थात् कोलकाता में आरएनबीसी के पास जनता की जमाराशियां थीं (सारणी V.36)।

अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों (आरएनबीसी) के निवेश का स्वरूप

5.87 अवशिष्ट गैर बैंकिंग (रिज़र्व बैंक) निदेशावली, 1987 में यथा विनिर्दिष्ट आरएनबीसी के निवेश के स्वरूप की 31 मार्च 2006 को पुनरीक्षा की गई और उसे आशोधित दिया गया। जमाकर्ता के प्रति सकल देयता (एएलडी) को दो शीर्षों में बांटा गया अर्थात 31 दिसंबर 2005 को जमाकर्ता के प्रति देयता (एएलडी) और वृद्धिशील एएलडी। वृद्धिशील एएलडी जमाकर्ताओं के प्रति वह देयता है जो 31 दिसंबर 2005 को जमाकर्ताओं के प्रति देयताओं की सकल राशि से अधिक हो। आरएनबीसी को सूचित गया कि वे 1 अप्रैल 2006 से 31 दिसंबर 2005 की स्थिति के अनुसार, एएलडी के 95 प्रतिशत से अन्यून राशि और संपूर्ण वृद्धिशील एएलडी राशि का निवेश यथा विनिर्दिष्ट विधि से करें। आरएनबीसी को यह भी सूचित किया गया कि वे 1 अप्रैल 2007 को तथा आगे एएलडी की संपूर्ण राशि का निवेश एकमात्र निदेशित निवेशों में ही करें और उन्हें अपने विवेक के अनुसार निवेश करने की अनुमति नहीं होगी।

सारणी V.36: अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों द्वारा धारित जनता की जमाराशियां - क्षेत्र-वार

(राशि करोड़ रुपए में)

क्षेत्र	मार्च के अंत में			
	2006		2007 अ	
	अ.गै.बैं.कं.की संख्या	राशि	अ.गै.बैं.कं.की संख्या	राशि
1	2	3	4	5
1. उत्तरी	–	–	–	–
2. उत्तर-पूर्वी	–	–	–	–
3. पूर्वी	2	4,614 (23)	2	4,514 (20)
4. मध्य	1	15,561 (77)	1	18,108 (80)
5. पश्चिमी	–	–	–	–
6. दक्षिणी	–	–	–	–
कुल (1 से 6)	**3**	**20,175**	**3**	**22,622**
ज्ञापन :				
महानगरीय क्षेत्र:				
1. मुंबई	–	–	–	–
2. चेन्नै	–	–	–	–
3. कोलकाता	2	4,614	2	4,514
4. नई दिल्ली	–	–	–	–
कुल (1 से 4)	**2**	**4,614**	**2**	**4,514**

– : शून्य / नगण्य अ : अनंतिम
टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल का प्रतिशत दर्शाते हैं।
स्रोत : वार्षिक विवरणियां

5.88 वर्ष 2006-07 में एएलडी में 12.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष के दौरान एएलडी के अभिनियोजन का स्वरूप आमतौर पर अपरिवर्तित रहा (सारणी V.37) ।

जमाराशि स्वीकार न करनेवाली प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी-एनडी-एसआइ)

5.89 मार्च 2007 को समाप्त वर्ष के लिए जमाराशि स्वीकार न करनेवाली प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण 173 एनबीएफसी (100 करोड़ रुपए से अधिक के आस्ति आकारवाली) से प्राप्त विवरणियों पर आधारित सूचना से प्रकट होता है कि मार्च 2006 को समाप्त वर्ष के बाद उनकी देयता/आस्ति में 26.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई। बड़ी आकार वाली एनबीएफसी के लिए निधियों का सबसे बड़ा स्रोत गैर-जमानती ऋणों का था, इसके पश्चात जमानती ऋण और रिज़र्व तथा अधिशेष का। यह प्रवृत्ति जून 2007 को समाप्त तिमाही के दौरान जारी रही (सारणी V.38)।

उधार

5.90 मार्च 2007 को समाप्त वर्ष के दौरान एनबीएफसी - एनडी-एसआइ की कुल उधार राशि (जमानती और गैर जमानती) 21.4 प्रतिशत बढ़कर 2,11,986 करोड़ रुपए हो गई जो उनकी कुल देयता का 66.7 प्रतिशत है। जून 2007 को समाप्त तिमाही के दौरान देयताओं में 6.4 प्रतिशत (सारणी V.39) की और वृद्धि हुई।

निधियों का उपयोग

5.91 मार्च 2007 को समाप्त वर्ष के दौरान बड़ी आकार वाली एनबीएफसी द्वारा निधियों के उपयोग के स्वरूप से पिछले वर्ष की तुलना में महत्वपूर्ण विविधता का पता चलता है। 2005-06 के दौरान आस्ति पक्ष में एकल बृहदाकार मद के रूप में गैर जमानती उधारियाँ (38.4 प्रतिशत) थीं और 2006-07 में आस्ति पक्ष में बृहदाकार मद के रूप में जमानती उधारियाँ (41.5 प्रतिशत) थीं और इसके पश्चात गैर जमानती उधारियों और दीर्घावधि निवेश का स्थान था। यह प्रवृत्ति जून 2007 को समाप्त तिमाही के दौरान भी जारी रही (सारणी V.40) ।

वित्तीय कार्य-निष्पादन

5.92 मार्च 2007 को समाप्त वर्ष के दौरान एनबीएफसी -एनडी-एसआइ कंपनियों ने 7460 करोड़ रुपए का लाभ कमाया जो पिछले

सारणी V.37: अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों का निवेश ढाँचा

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	मार्च के अंत में		जमाकर्ताओं के प्रति सकल देयताओं में प्रतिशत	
	2006	2007 P	2006	2007 अ
1	2	3	4	5
क. जमाकर्ताओं के प्रति सकल देयताएं (एएलडी)	**20,175**	**22,622**	**100.0**	**100.0**
ख. निवेश (i से iv)	**19,671**	**21,777**	**97.5**	**96.3**
(i) भार-रहित अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	2,346	3,317	11.6	14.7
(ii) बैंकों में सावधि जमा	6,090	5,604	30.2	24.8
(iii) सरकारी कं./सरकारी क्षेत्र के बैंक/सरकारी वित्तीय संस्था/निगम के बांड या डिबेंचर या वाणिज्यिक पत्र	9,577	11,700	47.5	51.7
(iv) अन्य निवेश	1,658	1,156	8.2	5.1

अ : अनंतिम
स्रोत : वार्षिक विवरणियां।

सारणी V.38: जमाराशियां न लेने वाली प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की देयताएँ

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	को समाप्त					
	मार्च 2006		मार्च 2007		जून 2007	
	राशि	कुल आस्ति मे प्रतिशत	राशि	कुल आस्ति मे प्रतिशत	राशि	कुल आस्ति मे प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
कुल देयताएँ	**2,50,765**	**100.0**	**3,17,898**	**100.0**	**3,38,133**	**100.0**
जिसमें से :						
क) चुकता पूंजी	17,548	7.0	18,904	5.9	20,659	6.1
ख)अधिमान शेयर	1,633	0.7	2,192	0.7	2,269	0.7
ग) आरक्षित निधि और अधिशेष	39,100	15.6	52,090	16.4	57,246	16.9
घ) जमानती ऋण	71,509	28.5	93,765	29.5	94,853	28.1
ङ) बेजमानती ऋण	1,03,086	41.1	1,18,221	37.2	1,26,018	37.3

स्रोत : एनबीएफसी-एनडी-एसआइ की मासिक विवरणियां

वर्ष मार्च 2006 में अर्जित लाभ (4301 करोड़ रुपए) की तुलना में 73.4 प्रतिशत अधिक था जो आंशिक रूप से प्रदर्शित करता था कि इस श्रेणी के अंतर्गत कंपनियों की संख्या में वृद्धि हुई है (सारणी V.41)।

5.93 मार्च 2007 को समाप्त वर्ष के दौरान बृहदाकार एनबीएफसी का कुल आस्ति की तुलना में सकल अनर्जक आस्ति अनुपात घटकर 2.3 प्रतिशत हो गया जबकि कुल आस्ति की तुलना में निवल अनर्जक आस्ति अनुपात 1.5 प्रतिशत पर स्थिर रहा।

सारणी V.39: जमाराशियां न लेने वाली प्रणालीगत रूप से महत्त्वपूर्ण गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की उधारी

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	समाप्त तिमाही					
	मार्च 2006		मार्च 2007		जून 2007	
	राशि	कुल उधारी में प्रतिशत	राशि	कुल उधारी में प्रतिशत	राशि	कुल उधारी में प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
क) जमानती उधारी (i से vi)	**71,509**	**41.0**	**93,765**	**44.2**	**94,853**	**42.9**
i. डिबेंचर	39,179	22.4	32,564	15.4	36,566	16.6
ii. आस्थगित ऋण	–	–	–	–	–	–
iii. बैंकों से प्राप्त सावधि ऋण	16,116	9.2	19,503	9.2	18,972	9.0
iv. वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त सावधि ऋण	6,997	4.0	5,030	2.4	5,413	2.5
v. अन्य	8,612	4.9	35,745	16.9	33,049	15.0
vi. उपचित ब्याज	604	0.3	923	0.4	852	0.4
ख) बेजमानती उधारी (i से viii)	**1,03,086**	**59.0**	**1,18,221**	**55.8**	**1,26,018**	**57.1**
i. संबंधियों से ऋण	1,639	0.9	1,621	0.8	1,396	0.6
ii. अंतर कंपनी जमाराशि	19,459	11.1	20,018	9.4	20,913	9.5
iii. बैंकों से प्राप्त ऋण	28,276	16.2	33,191	15.7	32,098	14.5
iv. वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त ऋण	3,703	2.1	4,218	2.0	4,142	1.9
v. वाणिज्यिक पत्र	13,123	7.5	14,031	6.6	16,743	7.6
vi. डिबेंचर	20,788	11.9	30,549	14.4	35,865	16.2
vii. अन्य	15,402	8.8	13,786	6.5	13,902	6.3
viii.ऋण पर उपचित ब्याज	697	0.4	807	0.4	959	0.4
कुल उधार (क+ख)	**1,74,595**	**100.0**	**2,11,986**	**100.0**	**2,20,870**	**100.0**
ज्ञापन						
कुल देयताएं	**2,50,765**	**69.6 @**	**3,17,898**	**66.7 @**	**3,38,133**	**65.3 @**

– : शून्य/ नगण्य

@ : सकल उधारी-कुल देयताओं के प्रतिशत के रूप में।

स्रोत : एनबीएफसी-एनडी-एसआइ की मासिक विवरणियां

सारणी V.40 : जमाराशियां न लेने वाली प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा निधियों के उपयोग से संबंधित चुनिंदा संकेतक

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	वर्ष के अंत में					
	मार्च 2006		मार्च 2007		जून 2007	
	राशि	निधि के कुल उपयोग में प्रतिशत	राशि	निधि के कुल उपयोग में प्रतिशत	राशि	निधि के कुल उपयोग में प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
जमानती ऋण	63,120	29.2	1,14,898	41.5	1,25,417	42.5
बेजमानती ऋण	82,996	38.4	69,609	25.2	74,050	25.1
किराया खरीद	22,613	10.5	28,160	10.2	28,221	9.6
दीर्घावधि निवेश	30,817	14.3	43,309	15.7	47,350	16.0
चालू निवेश	16,665	7.7	20,671	7.5	20,236	6.9
कुल	**2,16,211**	**100.0**	**2,76,647**	**100.0**	**2,95,274**	**100.0**
ज्ञापन मदें :						
पूंजी बाजार एक्सपोजर	59,583	27.6	81,435	29.4	84,947	28.8
जिसमें से :						
इक्विटी बाजार में	27,467	12.7	34,196	12.4	31,658	10.7

स्रोत : एनबीएफसी-एनडी-एसआइ की मासिक विवरणियां।

सारणी V.41: जमाराशियां न लेने वाली प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का वित्तीय कार्य-निष्पादन

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	वर्ष के अंत में				तिमाही के अंत में	
	मार्च-06		मार्च-07		जून-07	
	राशि	कुल आस्ति में प्रतिशत	राशि	कुल आस्ति में प्रतिशत	राशि	कुल आस्ति में प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
कुल आस्तियां	2,50,765	100	3,17,898	100	3,38,133	100
कुल आय@	18,342	7.3	31,281	9.8	8,772	2.6
कुल व्यय@	11,874	4.7	20,552	6.5	6,329	1.9
निवल लाभ@	4,301	1.7	7,460	2.3	1,963	0.6

@ : संचयी।
स्रोत : एनबीएफसी-एनडी-एसआइ की मासिक विवरणियां

दोनों ही अनुपातों में जून 2007 को समाप्त तिमाही में और भी गिरावट आई (सारणी V.42)।

सारणी V.42: जमाराशियां न लेनेवाली प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की सकल और निवल अनर्जक आस्तियां

(प्रतिशत)

मद	के अंत में		
	मार्च 2006	मार्च 2007	जून 2007
1	2	3	4
1. कुल आस्तियों की तुलना में सकल अनर्जक आस्तियां	4.3	2.3	2.0
2. कुल आस्तियों की तुलना में निवल अनर्जक आस्तियां	1.5	1.5	1.0
3. कुल ऋण जोखिम की तुलना में सकल अनर्जक आस्तियां	7.0	4.9	4.8
4. कुल ऋण जोखिम की तुलना में निवल अनर्जक आस्तियां	3.2	1.9	1.9

स्रोत:एनबीएफसी-एनडी-एसआइ की मासिक विवरणियां।

4. प्राथमिक व्यापारी

5.94 वर्ष 2006-07 के दौरान प्राथमिक व्यापारी (पीडी) प्रणाली में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। सरकार की बाजार उधारी के लिए हामीदार और सरकारी प्रतिभूतियों के लिए बाजार निर्माता होने के नाते प्राथमिक व्यापारी पर बाजार जोखिम का अत्यधिक असर पड़ता है। पीडी कारोबार में निहित जोखिम को बांटने के प्रयोजनार्थ पीडी को अनुमति प्रदान की गई कि वे प्रमुख रूप से सरकारी प्रतिभूति कारोबार करने की आवश्यकता को पूरा करते हुए, अन्य कारोबार भी अपनाएं। पीडी को अनुमति प्रदान की गई कि वे अपने निवेशों को कतिपय विवेकपूर्ण सीमाओं के भीतर कारपोरेट ऋण, इक्विटी और प्रतिभूति ऋण लिखतों में बांटें ताकि वे अपने तुलन पत्र जोखिमों को बांट सकें। उन्हें कतिपय शुल्क आधारित सेवाएं देने की भी अनुमति दी गई ।

5.95 साथ ही , यह भी निर्णय लिया गया कि प्राथमिक व्यापारियों को स्टेप डाउन सब्सिडियरी स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जिन प्राथमिक व्यापारियों ने पहले से ही अपनी स्टेप डाउन सब्सिडियरी (भारत में और विदेश में) स्थापित कर रखी थी उन्हें सूचित किया गया कि वे उन सब्सिडियरी के स्वामित्व स्वरूप का पुनर्गठन करें। ऐसा करने के पीछे यह सुनिश्चित करना था कि प्राथमिक व्यापारी का तुलन पत्र अन्य कारोबार/सब्सिडियरी से उत्पन्न जोखिम के प्रभाव से अप्रभावित रहे और प्राथमिक व्यापारियों का ध्यान उनके प्राथमिक डीलरशिप के कारोबार पर केंद्रित रहे। इसके परिणामस्वरूप 8 स्टैंड अलोन प्राथमिक व्यापारियों में से 5 प्राथमिक व्यापारियों द्वारा, जिनकी अपनी स्टेप-डाउन सब्सिडियरी थी अथवा जिन्होंने विशेष रूप से अनुमत कारोबार की जगह कोई अन्य कारोबार करना प्रारंभ कर दिया था, अपने परिचालनों को पुनर्गठित किया जाना आवश्यक था।

5.96 इन दिशानिर्देशों के अनुपालनार्थ पांच प्राथमिक व्यापारियों - नामतः डीएसपी मेरिल लिंच लि. (डीएसपीएमएल), आइसीआइसीआइ सिक्यूरिटीज लि. (आइएसईसी), आइडीबीआइ कैपिटल मार्केट सर्विसेज लि. (आइसीएमएस), सिक्यूरिटीज एण्ड ट्रेडिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. (एसटीसीआइ) और कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी लि. (केएमसीसी) ने अपने परिचालनों को पुनर्गठित किया क्योंकि उनके पास स्टेप-डाउन सब्सिडियरी थीं अथवा वे ईक्विटी ब्रोकिंग कारोबार करती थीं जिसकी अनुमति दिशानिर्देशों में नहीं दी गई थी। तथापि इन प्राथमिक व्यापारियों द्वारा अपनाई गई पुनर्गठन की प्रक्रिया अलग-अलग थी। केएमसीसी ने प्राथमिक व्यापारी कारोबार अपने मूल बैंक (कोटक महिंद्रा बैंक) को अंतरित कर दिया। आइएसईसी ने प्राथमिक व्यापारी कारोबार को अपने पास रखकर अपनी सब्सिडियरी का पुनर्गठन करके उसे आइसीआइसीआइ बैंक की सब्सिडियरी बना दिया । इसके बाद उसने अपना नाम बदलकर आइसीआइसीआइ सिक्यूरिटीज प्राइमरी डीलरशिप लि. (एसईसी-पीडी)कर लिया। एसटीसीआइ का पुनर्गठन एक दूसरी सब्सिडियरी की स्थापना करके किया गया, अर्थात् एसटीसीआई प्राइमरी डीलर लि. (एसटीसीआइ-पीडी) जो प्राथमिक व्यापारी का कारोबार करेगी। आइसीएमएस के मामले में आइडीबीआइ बैंक लि. की प्रत्यक्ष सब्सिडियरी के रूप में आइडीबीआइ गिल्ट्स लि. की स्थापना की गई जो आइसीएमएस के प्राथमिक डीलरवाले कार्य अपने हाथ में ले लेगी। डीएसपीएमएल सिक्यूरिटीज ट्रेडिंग लि. (डीएसपीएमएलएसटी) के नाम से प्राथमिक व्यापारी का कारोबार करने के लिए एक अन्य सब्सिडियरी की स्थापना के द्वारा डीएसपीएमएल का पुनर्गठन किया गया।

5.97 वर्ष के दौरान प्राथमिक व्यापारी कारोबार की संरचना में बैंकों को भी सम्मिलित करने की अनुमति दे दी गई बशर्ते वे न्यूनतम मानदंड पूरे करते हों । नौ बैंकों -सिटी बैंक एनए, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, एचएसबीसी बैंक, बैंक ऑफ अमेरिका, जे.पी.मॉरगन चेज बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और कारपोरेशन बैंक को विभागीय तौर पर प्राथमिक व्यापारी कारोबार करने के लिए प्राधिकृत किया गया और अब ये सभी बैंक उक्त कारोबार अपनी सब्सिडियरी/ग्रुप कंपनियों के माध्यम से करना बंद कर देंगे। एक नए बैंक अर्थात् एचडीएफसी बैंक लि. को भी 2 अप्रैल 2007 से प्राथमिक व्यापारी कारोबार करने के लिए प्राधिकृत किया गया।

5.98 राजकोषीय जबाबदेही तथा बजट प्रबंध अधिनियम, 2003 (एफआरबीएम) के मद्देनजर प्राथमिक व्यापारियों की बढ़ी हुई जबाबदेही को देखते हुए पीडी द्वारा दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों के निर्गमों की हामीदारी प्रणाली में परिवर्तन किए गए। संशोधित प्रणाली में संपूर्ण निर्गम की हामीदारी नीलामी में किए जाने का उल्लेख है। एफआरबीएम के बाद के परिदृश्य में, बैंकों को शामिल करने के लिए प्राथमिक व्यापारी प्रणाली की अनुमत संरचना को विस्तारित करने और हामीदारी प्रणाली को सशोधित करने जैसे

सारणी V.43: प्राथमिक व्यापारियों के चुनिंदा संकेतक

(मार्च के अंत में)

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	2005	2006 $	2007
1	2	3	4
कुल आस्तियां*	13,953	10,749	13,557
इनमें से: सरकारी प्रतिभूतियां	8,495	6,646	7,412
कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में			
सरकारी प्रतिभूतियां	61	62	55
सकल पूंजी निधि	5,992	4,229	4,026
सीआरएआर (प्रतिशत में)	57	53	33
चलनिधि समर्थन सीमा	3,000	3,000	3,000
प्राथमिक व्यापारियों की संख्या	17	8	8

* : चालू आस्तियों से चालू देयताएं घटाकर

$: 2006-07 के दौरान प्राथमिक व्यापारियों की संख्या में तीव्र गिरावट आने के कारण 2005-06 के और 2006-07 के आंकड़े पूरी तरह से तुलनीय नहीं है। अत: 2005-06 के तुलनात्मक आंकड़े (कॉ.3) भी दिए गए हैं जो उन्ही आठ प्राथमिक व्यापारियों के आंकड़े हैं।

दुहरे नीतिगत उपायों ने सफल ऋण प्रबंधन में योगदान दिया है। स्टैंड अलोन पीडी पर्याप्त रूप से पूंजीकृत रहते आ रहे हैं। यद्यपि 31 मार्च 2007 को पीडी का 33 प्रतिशत सीआरएआर पिछले वर्ष के स्तर से नीचे आया है तथापि यह सकल जोखिम भारित आस्ति के लिए विनिर्दिष्ट न्यूनतम 15 प्रतिशत से काफी अधिक है (सारणी V.43 और परिशिष्ट सारणी V.5)।

प्राथमिक व्यापारियों के परिचालन और उनका कार्य-निष्पादन

5.99 वर्ष 2006-07 क दौरान सामान्य उधारी कार्यक्रम के अंतर्गत राजकोषीय बिलों की नीलामियों में संचयी बोली लगाने की प्रतिबद्धताएं निर्गम राशि के 111 प्रतिशत पर निर्धारित की गई थीं। 2,07,711 करोड़ रुपए की सकल बोलियां 65,500 करोड़ रुपए (सामान्य नियमित उधारी कार्यक्रम के अंतर्गत) के राजकोषीय बिलों के निर्गमन का 3.2 गुना और 1,85,000 करोड़ रुपए (सामान्य नियमित उधारी कार्यक्रम तथा बाजार स्थिरीकरण योजना के अंतर्गत) के राजकोषीय बिलों के निर्गमन का 1.1 गुना थीं। 2,07,111 करोड़ रुपए की कुल बोलियों में से 70,951 करोड़ रुपए की बोलियां स्वीकार की गईं। पीडी से अपेक्षित है कि वे छमाही आधार पर राजकोषीय बिलों की नीलामी के संबंध में बोलियों की प्रतिबद्धता के 40 प्रतिशत का सफल अनुपात प्राप्त करें। वर्ष 2006-07 में राजकोषीय बिलों की नीलामियों (एमएसएस सहित) में प्राथमिक बाजार क्रय में प्राथमिक व्यापारियों का हिस्सा 38 प्रतिशत था जो 2005-06 के 34 प्रतिशत से मामूली ऊपर था।

5.100 राजकोषीय जबाबदेही और बजट प्रबंध अधिनियम, 2003 के अनुसरण में भारतीय रिज़र्व बैंक को केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों की प्राथमिक नीलामीयों में भाग लेने से निवारित किया गया है।

अतः प्राथमिक व्यापारियों के लिए भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों की नीलामियों में संपूर्ण अधिसूचित राशि की हामीदारी करना अनिवार्य किया गया। वर्ष 2006-07 के दौरान सामान्य उधारी कार्यक्रम के अंतर्गत 1,46,000 करोड़ रुपए मूल्य की दिनांकित प्रतिभूतियां जारी की गईं। हामीदारी नीलामियों में प्राथमिक व्यापारियों ने 1,93,869 करोड़ रुपए मूल्य के लिए बोलियां प्रस्तुत की उनमें से 1,46,000 करोड़ रुपए की बोलियां स्वीकार की गईं । यह हामीदारी नीलामियों में 1.32 के बोली-कवर अनुपात को दर्शाता है। वर्ष 2006-07 के दौरान 5,604 करोड़ रुपए की राशि प्राथमिक व्यापारियों पर अंतरित (डिवॉल्व) हुई।

5.101 भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों की मुख्य नीलामी में प्राथमिक व्यापारियों ने 1,46,000 करोड़ रुपए की अपनी प्रतिबद्धता के लिए 2,02,225 करोड़ रुपए की बोलियां प्रस्तुत कीं (जो 1.39 का बोली-कवर अनुपात दर्शाती है), जिसमें से 64,727 करोड़ रुपए मूल्य की बोलियां स्वीकार की गईं। वर्ष 2006-07 के दौरान नीलामी की गई दिनांकित प्रतिभूतियों में प्राथमिक व्यापारियों का अंश 2005-06 के 48 प्रतिशत से मामूली घटकर 44 प्रतिशत रह गया था।

5.102 केवल स्टैंड अलोन प्राथमिक व्यापारियों द्वारा बेचे/ खरीदे गए राजकोषीय बिलों और दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों (सीधे और रिपो) का द्वितीयक बाजार टर्नओवर क्रमशः 3,24,571 करोड़ रुपए और 22,34,630 करोड़ रुपए के लिए था जो बाजार टर्नओवर का क्रमशः 18.3 प्रतिशत तथा 21.8 प्रतिशत था।

निधियों के स्रोत और उनका उपयोग

5.103 आठ स्टैंड अलोन प्राथमिक व्यापारियों के तुलनपत्र के आकार में मार्च 2007 को समाप्त वर्ष में पिछले वर्ष में परिलक्षित वृद्धि (24.2 प्रतिशत) की ही तर्ज पर महत्वपूर्ण वृद्धि (26.1 प्रतिशत) हुई(सारणी V.44)। 31 मार्च 2006 की तुलना में 31 मार्च 2007 को स्टैंड अलोन प्राथमिक व्यापारियों की पूंजीगत निधि की स्थिति में 46.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो मुख्यतया एक प्राथमिक व्यापारी के द्वारा 675 करोड़ रुपए के अधिमान शेयर जारी करके पूंजी बढ़ाने के कारण थी। अभिनियोजन पक्ष की ओर देखने से पता चलता है कि सरकारी प्रतिभूतियों और वाणिज्यिक पत्रों में निवेश में वृद्धि हुई है। उधार और अग्रिमों में तीव्र गिरावट आई। मार्च 2007 के अंत में प्राथमिक व्यापारियों की कुल आस्ति में सरकारी प्रतिभूतियों और राजकोषीय बिलों का हिस्सा मार्च 2006 के अंत के 62 प्रतिशत से घटकर 55 प्रतिशत रह गया था।

सारणी V.44: प्राथमिक व्यापारियों की निधियों के स्रोत और उपयोग

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	मार्च के अंत में			प्रतिशत घट-बढ़	
	2006	2006 $	2007	2005-06	2006-07
1	2	3	4	5	6
निधियों के स्रोत	**13,953**	**10,749**	**13,557**	**24.2**	**26.1**
1. पूंजी	2,263	1,427	2,088	-4.6	46.3
2. आरक्षित निधि और अधिशेष	3,843	2,856	3,102	12.8	8.6
3. ऋण (क+ख)	7,847	6,466	8,367	39.9	29.4
क) जमानती	3,480	2,760	3,910	30.8	41.7
ख) बेजमानती	4,367	3,706	4,457	47.6	20.3
निधियों का उपयोग	**13,953**	**10,749**	**13,557**	**24.2**	**26.1**
1. अचल आस्तियां	71	64	72	-6.1	12.2
2. निवेश (क से ग)	10,425	7,954	9,248	11.3	16.3
क) सरकारी प्रतिभूति	8,495	6,646	7,412	3.8	11.5
ख) वाणिज्यिक पत्र	846	626	1,241	223.9	98.2
ग) कंपनी बांड	1,084	682	595	23.3	-12.7
3. ऋण और अग्रिम	2,398	1,883	1,135	-6.5	-39.7
4. गैर चालू आस्तियां	–	–	–	-100.0	–
ईक्विटी, म्यूचुअल फंड *आदि*	–	–	928	–	–
अन्य*	1,059	848	2,174	-228.2	156.4
प्रा. व्या. की संख्या	17	8	8	8	8

* : अन्य में नकदी + बैंक शेष + उपजित ब्याज + मांग और मीयादी आस्तियां - चालू देयताएं और प्रावधान शामिल हैं।

$: 2006-07 के दौरान प्राथमिक व्यापारियों की संख्या में तीव्र गिरावट आने के कारण 2005-06 के और 2006-07 के आंकड़े पूरी तरह से तुलनीय नहीं है। अत: 2005-06 के तुलनात्मक आंकड़े (कॉ.3) भी दिए गए हैं जो उन्ही आठ प्राथमिक व्यापारियों के आंकड़े हैं।

सारणी V.45: प्राथमिक व्यापारियों का वित्तीय कार्य – निष्पादन

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	2005-06	2005-06 $	2006-07	प्रतिशत घट-बढ़ 2005-06	2006-07
1	2	3	4	5	6
क. आय (i से iii)	2,153	1,661	1,950	204	17
i) ब्याज और छूट	1,151	814	986	8	21
ii) कारोबारी लाभ	-47	46	-17	-108	-137
iii) अन्य आय	1,049	802	979	118	22
ख. व्यय (i+ii)	1,150	884	1,314	42	49
i) ब्याज	670	485	668	34	38
ii) प्रशासनिक लागत	481	398	645	53	62
कर पूर्व लाभ	1,003	778	636	-1142	-18
करोत्तर लाभ	749	557	444	-512	-20
प्रा.व्या. संख्या	17	8	8		

$: 2006-07 के दौरान प्राथमिक व्यापारियों की संख्या में तीव्र गिरावट आने के कारण 2005-06 के और 2006-07 के आंकड़े पूरी तरह से तुलनीय नहीं है। अत: 2005-06 के तुलनात्मक आंकड़े (कॉ.3) भी दिए गए हैं जो उन्ही आठ प्राथमिक व्यापारियों के आंकड़े हैं।

प्राथमिक व्यापारियों का वित्तीय कार्य-निष्पादन

5.104 वर्ष 2006-07 के दौरान स्टैंड अलोन प्राथमिक व्यापारियों द्वारा अर्जित आय में हुई 17 प्रतिशत की वृद्धि, जो ब्याज और अन्य आय में हुई महत्वपूर्ण वृद्धि के कारण थी, पिछले वर्ष की आय में हुई वृद्धि (204 प्रतिशत) से बहुत कम थी। तथापि, प्राथमिक व्यापारियों को मामूली कारोबारी घाटा सहना पड़ा। ब्याज खर्च और अन्य खर्च में हुई वृद्धि के कारण प्राथमिक व्यापारियों के खर्च में 49 प्रतिशत की वृद्धि हुई। व्यय में हुई तीव्र वृद्धि के परिणामस्वरूप प्राथमिक व्यापारियों का निवल लाभ वर्ष 2006-07 में 20 प्रतिशत कम हुआ (सारणी V.45)।

5.105 वर्ष 2006-07 के दौरान निवल लाभ दर्शानेवाले प्राथमिक व्यापारियों की संख्या पिछले वर्ष के 8 से घटकर 6 रह गई । प्राथमिक व्यापारियों के वित्तीय कार्य-निष्पादन में हुई कमी का असर औसत आस्ति पर लाभ (आरओए) में देखा गया , जो 2005-06 में 4.3 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2006-07 के दौरान 3.0 प्रतिशत हो गया तथा स्वाधिकृत निधि पर लाभ (आरओएनडब्लू) 2005-06 के 13.6 प्रतिशत से घटकर 2006-07 में 9.5 प्रतिशत रह गया (सारणी V.46 और परिशिष्ट सारणी V.6)।

सारणी V.46: प्राथमिक व्यापारियों के वित्तीय संकेतक

(राशि करोड़ रुपए में)

संकेतक	2005-06	2005-06 $	2006-07
1	2	3	4
i) निवल लाभ	749	557	444
ii) औसत आस्तियां	18,394	13,104	14,984
iii) औसत आस्तियों पर प्रतिलाभ (प्रतिशत में)	4.1	4.3	3.0
पूंजी निधि	5,992	4,229	4,026
प्रा.व्या. की संख्या	17	8	8

$: 2006-07 के दौरान प्राथमिक व्यापारियों की संख्या में तीव्र गिरावट आने के कारण 2005-06 के और 2006-07 के आंकड़े पूरी तरह से तुलनीय नहीं है। अत: 2005-06 के तुलनात्मक आंकड़े (कॉ.3) भी दिए गए हैं जो उन्ही आठ प्राथमिक व्यापारियों के आंकड़े हैं।